

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-01-03.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 153]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 24 मई 2006—ज्येष्ठ 3, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 24 मई 2006

क्रमांक 4938/डी-152/21-अ/प्रारूपण/06. — छत्तीसगढ़ विधानसभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 12-5-2006 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 20 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 2006

विषय — सूची

धाराएं :—

अध्याय—1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
2. परिभाषाएं.

अध्याय—2

कृषक संगठन का गठन एवं कमाण्ड क्षेत्र का अंकन

3. जल के उपभोक्ता क्षेत्र का अंकन.
4. जल उपभोक्ता संथा का गठन.
5. जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति का गठन एवं अध्यक्ष व सदस्यों का निर्वाचन.
6. वितरिका क्षेत्र का अंकन.
7. वितरिका समिति का गठन.
8. वितरिका समिति की प्रबंध समिति का गठन तथा अध्यक्ष एवं सदस्यों का निर्वाचन.
9. परियोजना क्षेत्र का अंकन.
10. परियोजना समिति का गठन.
11. परियोजना समिति के लिए प्रबंध समिति का गठन एवं अध्यक्ष व सदस्यों का निर्वाचन.
12. राज्य स्तर पर कृषक संगठनों का परिसंघ.
13. राज्य स्तरीय नीति समिति.
14. वापस बुलाने की प्रक्रिया.

15. प्रबंध समिति द्वारा अध्यक्ष को हटाए जाने की प्रक्रिया.
16. कृषकों के संगठन में उपसमिति का गठन.
17. कृषक संगठन एक निगमित संगठन होगा.
18. कृषक संगठन में परिवर्तन.
19. अभ्यर्थी या सदस्य की निरर्हता.
20. शक्तियों का भरा जाना.
21. उद्वहन एवं ट्यूब वेल सिंचाई के लिए जल उपभोक्ता संथा.
22. उद्वहन एवं ट्यूब वेल सिंचाई जल उपभोक्ता संथा के कार्य क्षेत्र का अंकन.
23. सतह सिंचाई के कमांड क्षेत्र में स्थित अधिसूचित नदी या जल धारा पर उद्वहन संथा के गठन की अनुमति.

अध्याय—3

कृषक संगठन का उद्देश्य, शक्तियां और कृत्य

24. उद्देश्य.
25. जल उपभोक्ता संथा की शक्तियां एवं कृत्य.
26. वित्तिका समिति के कृत्य.
27. परियोजना समिति के कृत्य.
28. सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति और उसके कार्य.
29. कतिपय मामलों में कृषक संगठन की संकर्मों का निष्पादन करने के लिए आदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति.
30. आदेशों/संकल्पों आदि का निष्पादन निलंबित करने की शक्ति.

अध्याय—4

संसाधन एवं निधियां

31. कृषक संगठन के संसाधन.
32. शुल्क का उद्ग्रहण एवं संग्रहण करने की शक्ति.

33. जल उपभोक्ता संथा की निधियों का उपयोग.
34. संवरीक्षा.
35. निधियों का निक्षेप एवं प्रसरण.
36. निक्षेप निधि.
37. बजट.
38. शोध्यों की वसूली.

अध्याय-5

अपराध तथा शास्तियां

39. अपराध तथा शास्तियां.
40. कृषकों के संगठन का विघटन.
41. अन्य विधियों के अधीन दंड वर्जित नहीं होगा.
42. अपराधों का शमन.

अध्याय-6

विवादों का निपटारा

43. विवादों का निपटारा.
44. अपील.

अध्याय-7

प्रकीर्ण

45. अभिलेख.
46. सम्मिलन.
47. त्याग - पत्र.
48. नियंत्रक अधिकारी की नियुक्ति.
49. संक्रमणकालीन इंतजाम
50. कृषक संगठन के आदेशों तथा दस्तावेजों का अधिप्रमाणन.
51. अनौपचारिकता या रिक्ति आदि द्वारा कृत्य का अविधिमान्य न होना.

52. सद्भावपूर्वक किये गये कार्यों का संरक्षण.
53. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.
54. व्यावृत्ति.
55. नियम बनाने की शक्तियां.
56. आदर्श उपविधि और विनियम बनाने की शक्तियां.
57. निरसन.

छत्तीसगढ़ ६५

दिनांक २४ मई २००६

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 20 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 2006

सिंचाई प्रणाली प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी तथा उससे संबद्ध विषयों या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सन्तावनवें वर्ष में राज्य विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय—1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ.

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 2006 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और मिन्न-मिन्न क्षेत्रों और ~~और~~ मिन्न-मिन्न उपबंधों के लिए मिन्न-मिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. परिभाषाएं.

इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अनुबंध" से अभिप्रेत है, सिंचाई प्रबंधन के समस्त पहलुओं, जिनमें वितरक प्रणाली का पुर्नवास, सिंचाई के लिए संचयित आधार पर जल का प्रदाय, तथा कार्यान्वयन, संधारण तथा संबंधित प्रयोजनों के लिए भौतिक प्रणाली का हस्तांतरण शामिल है, के लिये जल उपभोक्ता संस्था एवं परियोजना समिति या नहर अधिकारी यथा स्थिति क मध्य अनुबंध;

(ख) कृषकों के संगठन के संबंध में "कार्य क्षेत्र" से अभिप्रेत है, किसी सिंचाई प्रणाली के कमाण्ड क्षेत्र से लगा हुआ भू-खण्ड जैसा कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए;

(ग) "आयाकट सड़क" से अभिप्रेत है, सिंचाई और कृषि के प्रयोजन के लिए कृषकों के संगठन के कार्यक्षेत्र के भीतर की कोई सड़क, किन्तु इसमें किसी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर पालिका निगम या राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग में निहित कोई सड़क सम्मिलित नहीं है ;

(घ) "नहर अधिकारी" से अभिप्रेत है, जल संसाधन विभाग के निम्नलिखित अधिकारी अर्थात् :-

(एक) मुख्य अभियंता ;

(दो) अधीक्षण अभियंता ;

(तीन) कार्यपालन अभियंता ;

(चार) अनुविभागीय अधिकारी ;

(पांच) नहर डिप्टी कलेक्टर ; और

(छ) उप अभियंता ;

(ड) "कमाण्ड क्षेत्र" से अभिप्रेत है, ऐसा क्षेत्र जो या तो गुरुत्वाकर्षण संबंधी बहाव द्वारा या उद्वहन सिंचाई द्वारा या किसी शासन या शासकीय सहायता प्राप्त स्त्रोत के किसी अन्य तरीके से सिंचित हो या सिंचित किये जाने योग्य हो, और उसमें ऐसा प्रत्येक क्षेत्र सम्मिलित है जो या तो "आयाकट" कहलाता हो या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अन्य नाम से जाना जाता हो ;

(च) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, धारा 29 के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारी ;

(छ) "वितरिका प्रणाली" से अभिप्रेत तथा इसमें सम्मिलित हैं, -

(एक) समस्त मुख्य नहरें, शाखा नहरें, वितरिकाएं और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति और वितरण के लिए सन्निर्मित लघु नहरें ;

(दो) सिंचाई के लिए जल के वितरण से संबंधित समस्त संकर्म, संरचना और साधन ; और

(तीन) समस्त खेत, जलसराणियां और अन्य

जलसरणियां तथा किसी पाइप निकास के अंतर्गत की संरचनाएं ;

(ज) "जल निकास प्रणाली" से अभिप्रेत तथा इसमें सम्मिलित हैं, -

(एक) अपशिष्ट या अतिरिक्त जल के निस्सारण के लिए जल सरणियां, चाहे वे प्राकृतिक हों या कृत्रिम हों और उससे संशुद्ध या आनुषंगिक समस्त संकर्म ;

(दो) किसी सिंचाई या वितरण से निस्तार जल-सरणियां और उससे संबंधित अन्य संकर्म किन्तु इसमें मैला हटाए जाने के लिए किए जाने वाले संकर्म सम्मिलित नहीं हैं ;

(तीन) समस्त संग्रहण नालियां और मुख्य नालियां जो खेत नालियों से अतिरिक्त जल को बहाने के लिए हैं ; और

(चार) समस्त खेत नालियां और पाइप निकासी के भीतर संबद्ध संरचनाएं ;

(झ) "कृषकों का संगठन" जहां कहीं भी आया हो, का अर्थ होगा और उसमें सम्मिलित हैं, -

(एक) प्राथमिक स्तर पर, समस्त जल उपभोक्ताओं से मिलकर बनने वाला धारा (4) के अधीन यथा गठित जल उपभोक्ता संस्था ;

(दो) द्वितीयक स्तर पर धारा (7) के अधीन यथा गठित वितरिका समिति ; और

(तीन) परियोजना स्तर पर धारा (10) के अधीन यथा गठित परियोजना समिति ;

(ञ) "सिंचाई प्रणाली प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी" से अभिप्रेत है, जल उपभोक्ताओं को, सिंचाई प्रणाली के समस्त पहलू जिसमें योजना, रूपांकन, कार्यान्वयन, संधारण, पुनर्वास, आधुनिकीकरण, प्रशासकीय अधिकार, विवादों का निपटारा, सिंचाई सेवा शुल्क/प्रभार का उद्ग्रहण तथा संग्रहण, अनुश्रवण, मूल्यांकन, बजट बनाना एवं वित्तीय प्रबंधन और सिंचाई व कृषि से संबंधित सेवाओं का उपबंध/समन्वय से संबद्ध करना ;

(ट) "खेत जलसरणी" से अभिप्रेत है, विद्यमान जल-सरणी या राज्य सरकार द्वारा भू-धारकों द्वारा या पाइप निकासी से जल प्राप्त करने और उसे वितरित करने वाले किसी अभिकरण द्वारा सन्निर्मित की जाने वाली जल-सरणी या सरकारी या निजी स्वामियों से संबंधित खेतों की सिंचाई के लिए निकलने वाला कोई जल मार्ग ;

(ठ) "खेत नाली" में सम्मिलित है, भूधृति से पाइप निकास के भीतर अपशिष्ट या अतिरिक्त जल के निस्तारण के लिए भू-धारक द्वारा या किसी अन्य अभिकरण द्वारा उत्खनित या अनुरक्षित कोई जल-सरणी और उसमें विद्यमान या सन्निर्मित की जाने वाली नालियां, विस्तार जल-सरणियां और ऐसे ही अन्य संकर्म सम्मिलित है ;

(ड) "वित्तीय अभिकरण" से अभिप्रेत है, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित या निगमित कोई व्यावसायिक बैंक या कोई सहकारी सोसाइटी या कोई अन्य बैंक या संगठन जो कृषकों के संगठन के कार्य क्षेत्र के विकास के लिए धन उधार देता हो ;

(ढ) जल उपभोक्ता संस्था के संबंध में "सामान्य सभा" से अभिप्रेत है, उस संस्था के सभी सदस्यगण ;

(ण) "जलीय आधार" से अभिप्रेत है, एक या अधिक जलीय संरचनाओं जैसे हेड वर्क, वितरिकाएं, लघु नहरें, पाइप निकास और उसी प्रकार की जलीय संरचनाएं जो जीवनक्षम सिंचित क्षेत्र की पहचान करने के आधार हैं ;

(त) "सिंचाई प्रणाली" से अभिप्रेत है, सिंचाई तथा अन्य सरकारी संसाधनों से संबद्ध अन्य उपयोग के लिए जल नियंत्रित करने हेतु जो पंचायत के नियंत्रणाधीन है, उन्हें छोड़कर ऐसी वृहद्, मध्यम और लघु सिंचाई प्रणाली तथा उसके अंतर्गत जलाशय खुली मुख्य जलसरणी, उपयोजन प्रणाली, स्टाप डेम, बांध (एनिकेट), उद्वहन सिंचाई (लिफ्ट इरीगेशन स्कीम), तालाब, कुएं/ट्यूब वेल और वैसी ही सिंचाई प्रणाली के अन्य संसाधन जिससे 40 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र सिंचित हो तथा जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृत सामुदायिक भागीदारी से निर्मित स्रोत भी सम्मिलित हैं ;

स्पष्टीकरण : (एक) "वृहद् सिंचाई प्रणाली" से अभिप्रेत है, सिंचाई परियोजना के अधीन 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचन योग्य कमाण्ड क्षेत्र वाली सिंचाई प्रणाली ;

(दो) "मध्यम सिंचाई प्रणाली" से अभिप्रेत है, सिंचाई परियोजना के अधीन 2,000 हेक्टेयर से अधिक और 10,000 हेक्टेयर तक

सिंचन योग्य कमाण्ड क्षेत्र वाली सिंचाई प्रणाली ;

(तीन) "लघु सिंचाई प्रणाली" से अभिप्रेत है, सिंचाई परियोजना के अधीन 40 हेक्टेयर से अधिक तथा 2,000 हेक्टेयर तक सिंचन योग्य कमाण्ड क्षेत्र वाली सिंचाई प्रणाली ;

(थी) "भू-धारी" से अभिप्रेत है, सिंचाई प्रणाली के अधिसूचित आयाकट क्षेत्र की भूमि के संबंध में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20, सन् 1959) के अधीन अधिकारों के अभिलेख में इस रूप में अभिलिखित कोई भूमि-स्वामी या कोई अभिधारी ;

(द) "उद्वहन सिंचाई" अथवा उद्वहन सिंचाई योजना का उद्वहन सिंचाई जल उपभोक्ता संस्था के संबंध में अभिप्रेत है, ऐसी सभी उद्वहन सिंचाई योजनाएँ जिनमें जल उद्वहन हेतु राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक है, किंतु निजी उद्वहन योजनाएँ या निजी कुएं अथवा नलकूप को छोड़कर ;

(ध) कृषकों द्वारा सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन के संबंध में "उद्वहन एवं ट्यूब वेल सिंचाई जल उपभोक्ता संस्था" से अभिप्रेत है, एक संगठन जो कि इस अधिनियम की धारा 21 तथा 22 में विहित पद्धति से उद्वहन तथा ट्यूब वेल सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया हो ;

(न) "संधारण" से अभिप्रेत है, सिंचाई प्रणाली पर ऐसे संकर्मों का निष्पादन जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, कि स्तर के अनुसार तैयार की गई भौतिक प्रणाली, कार्यक्षेत्र में भू-धारियों को जल के समुचित वितरण के लिए चल रही है ;

(प) "प्रबंध समिति" से अभिप्रेत है, कृषकों के किसी संगठन की प्रबंध समिति ;

(फ) "सदस्य" से अभिप्रेत है, किसी कृषक संगठन का सदस्य ;

(ब) "कार्य योजना" से अभिप्रेत है, किसी सिंचाई प्रणाली के कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई के विनियमन के लिए तैयार किये प्रदाय के तरीकों और प्रदाय की अवधि के ब्यौरे सहित सिंचाई के लिए वितरणों की अनुसूची ;

(म) "विहित" से अभिप्रेत है, अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा विहित ;

(म) इस अधिनियम के संबंध में "प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र" से

अभिप्रेत है, जलीय आधार पर सीमांकित क्षेत्र और जहां तक संभव हो एक शामिलाली, नहर से सिंचित क्षेत्र ;

(य) "वाराबंदी" से अभिप्रेत है, प्रदाय का दिन, अवधि और समय उपदर्शित करते हुए किसी अनुमोदित अनुसूची के अनुसार क्रम से जल उपभोक्ताओं को जल के आबंटन का वितरण करने की पद्धति ;

(र) "जल आबंटन" से अभिप्रेत है, कृषकों के किसी संगठन द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में समय-समय पर अवधारित जल का बंटवारा ;

परंतु, परियोजना क्षेत्र स्तर पर जल आबंटन, कृषकों के संगठन तथा नहर अधिकारी संयुक्त रूप से अवधारित करेंगे ;

(ल) "जल उपभोक्ता" से अभिप्रेत है, और उसमें सम्मिलित है किसी सरकारी सिंचाई स्त्रोत से कृषि, घरेलू, गैर घरेलू, ऊर्जा, वाणिज्यिक, औद्योगिक या किसी अन्य प्रयोजन के लिए जल का उपयोग कर रहा कोई व्यक्ति या निगमित निकाय या कोई सोसाइटी ।

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं, किंतु परिभाषित नहीं हैं, वे ही अर्थ होंगे जो छत्तीसगढ़ इरीगेशन एक्ट, 1931 (क्रमांक 3 सन् 1931) में उनके लिए दिए गए हैं ।

अध्याय-2

कृषक संगठन का गठन एवं उनके कमाण्ड क्षेत्र का अंकन

3. जल के उपभोक्ता क्षेत्र का अंकन

(1) जिलाधीश अधिसूचना द्वारा और इस निमित्त इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार प्रत्येक सिंचाई प्रणाली के प्रस्तावित लाभचिंत कृषकों से विचार-विमर्श कर जलीय आधार पर प्रत्येक सिंचाई प्रणाली के अधीन प्रत्येक कमाण्ड क्षेत्र को अंकित कर सकेगा, जो प्रशासनिक रूप से जीवनक्षम हो, और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए जल उपभोक्ता क्षेत्र घोषित कर सकेगा ;

परंतु, बृहद्, मध्यम एवं लघु सिंचाई प्रणाली में कोई भी जल उपभोक्ता क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक नहीं होगा ;

परंतु, लघु तथा उद्वहन सिंचाई प्रणाली में संपूर्ण कमाण्ड क्षेत्र यथासंभव एकल जल उपभोक्ता क्षेत्र में होगा ;

परन्तु, लघु सिंचाई प्रणाली में जिनमें एक से अधिक सिंचाई योजनाएं भी सन्निहित हैं यथासंभव 200 हेक्टेयर अथवा अधिक क्षेत्र में एकल जल उपभोक्ता संथा हो सकती है ;

परन्तु, एक या अधिक लघु सिंचाई योजनाओं जो कि एक-दूसरे से सन्निकट अथवा युक्तियुक्त दूरी पर स्थित हो, के लिये एकल जल उपभोक्ता संथा बनायी जा सकती है, चाहे इनका सम्मिलित कमाण्ड क्षेत्र 200 हेक्टेयर से कम हो।

(2) जिलाधीश ऊपर वर्णित उपधारा (1) के अंतर्गत सीमांकित जल उपभोक्ता क्षेत्र में उस योजना के प्रभारी नहर अधिकारी की अनुशंसा पर अधिसूचना द्वारा सुधार कर सकता है, किंतु ऐसे नहर अधिकारी की अनुशंसाएं प्रस्तावित लागू कृषकों से विचार-विमर्श के पश्चात् आधारित हों।

(3) प्रत्येक जल उपभोक्ता क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त किया जाएगा, जो लघु सिंचाई प्रणाली में दस और वृहद एवं मध्यम सिंचाई प्रणाली में बारह तक होंगे :

परन्तु, ऐसे प्रकरणों में जहां कमाण्ड क्षेत्र 200 हेक्टेयर से कम हो, एक जल उपभोक्ता संथा बनाने हेतु दस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के गठन की तथा उद्वहन सिंचाई जल उपभोक्ता संथा के प्रकरण में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के गठन की आवश्यकता नहीं होगी।

4. जल उपभोक्ता संथा का गठन

(1) प्रत्येक जल उपभोक्ता संथा क्षेत्र के लिए धारा 3 के अधीन उस रूप में जो घोषित किया जाए, एक जल उपभोक्ता संथा होगी जो उसके स्थानीय सुभिन्न नाम से जानी जाएगी।

(2) प्रत्येक जल उपभोक्ता संथा में निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात् :-

(क) सभी जल उपभोक्ता जो जल के उपभोक्ता क्षेत्र के भू-स्वामी हों :

परन्तु, जहां कोई स्वामी और अभिधारी दोनों ही ऐसी भूमि के संबंध में भूमिधारक हैं वहां अभिधारी जल उपभोक्ता माने जाएंगे ;

परन्तु कोई व्यक्ति जो एक जल स्रोत के अधीन भूमि का वैधानिक कब्जादार तथा उपयोग करता है, उस फसल वर्ष में कब्जा एवं उपयोग का प्रमाण उपलब्ध होने पर वह सदस्यता का दावा कर सकेगा, भले

ही वह अभिलेखों में भू-धारक हो या न हो, उस स्थिति में इस अधिनियम के उद्देश्य से, जल उपभोक्ता संस्था उसे सदस्यता हेतु इकार नहीं करेगी, और ऐसा व्यक्ति जल उपभोक्ता के सामान ही, जल प्रभार एवं शुल्क के भुगतान हेतु जिम्मेदार होगा ;

परंतु, ऐसे भू-धारक की पत्नी/पत्नियाँ जो भू-धारक नहीं हैं तो भी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भू-धारक मानी जायेंगी।

(ख) जल उपभोक्ता क्षेत्र के सभी जल उपभोक्ता।

(ग) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा जल संसाधन तथा कृषि विभाग से एक-एक अधिकारी का नामांकन जल उपभोक्ता संस्था के सलाहकार सदस्य के रूप में कर सकेगी, तथा इन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(3) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सदस्य जल उपभोक्ता संस्था की सामान्य सभा का गठन करेंगे।

5. जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति का गठन एवं अध्यक्ष व सदस्यों का निर्वाचन

(1) प्रत्येक जल उपभोक्ता संस्था के लिए एक प्रबंध समिति होगी।

(2) प्रत्येक जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र जैसा कि धारा 3 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट है, से निर्वाचित सदस्य, समाविष्ट होंगे।

(3) प्रबंध समिति के सदस्यों की पदावधि, यदि अधिनियम के प्रावधान के अधीन उन्हें वापस न बुलाया गया हो या हटाया न गया हो या निरहित न किया गया हो तो, प्रथम सम्मिलन की तारीख से पांच वर्ष की होगी :

परंतु विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार, पदावधि में एक वर्ष की वृद्धि कर सकेगा।

(4) निर्वाचन की घोषणा के पश्चात्, तीस दिवस में प्रबंध समिति का प्रथम सम्मिलन आहूत किया जाएगा।

(5) जल उपभोक्ता संस्था के प्रबंध समिति के अध्यक्ष पद का चुनाव जिला कलेक्टर गुप्त मतदान पद्धति द्वारा, विहित रीति से करवायेगा।

(6) जिला कलेक्टर, प्रबंध समिति, जिसमें कि एक सदस्य जल उपभोक्ता क्षेत्र के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का हो, के चुनाव की विहित रीति से व्यवस्था करेगा :

परंतु एक ही जल उपभोक्ता संस्था के एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि चुने जाने के पात्र व्यक्ति को, उनकी इच्छानुसार एक ही प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व का अधिकार होगा, किंतु उसे ऐसी इच्छा नामांकन के पूर्व प्रगट करनी होगी ;

परंतु, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति का सदस्य नहीं हो सकता।

(7) यदि, निर्वाचन में जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्ष या सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं, तो असफल होने के 90 दिनों के भीतर अधिनियम की धारा 5 या 6 में दर्शाये अनुसार, जैसे भी स्थिति हो, पुनः निर्वाचन कराया जाना चाहिए।

(8) राज्य शासन, जल संसाधन विभाग के समुचित स्तर के अधिकारी का नामांकन, जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति के सचिव के रूप में कर सकेगा। ऐसे अधिकारी को मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(9) अध्यक्ष की सहायता के लिए एक कोषाध्यक्ष का चुनाव प्रबंध समिति के सदस्यों में से होगा। कोषाध्यक्ष, प्रबंध समिति के निर्देशन में कार्य करेंगे।

(10) परंतु, जल के साम्यपूर्ण वितरण हेतु, प्रबंध समिति में, जल उपभोक्ता क्षेत्र के शीर्ष, मध्य एवं अंतिम क्षेत्र को पर्याप्त प्रतिनिधित्व विहित रीति से किया जाएगा ;

(11) प्रत्येक जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये स्थान आरक्षित रखे जाएंगे, और इस प्रकार, आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस जल उपभोक्ता संस्था के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के साथ यथासाध्य वही होगा जो उस जल उपभोक्ता क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, की या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के जल उपभोक्ताओं की संख्या का उस जल उपभोक्ता क्षेत्र की कुल जल उपभोक्ताओं की संख्या के साथ है, ऐसे स्थान विहित प्राधिकारी द्वारा उस जल उपभोक्ता संस्था में भिन्न-भिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए विहित रीति में

आवंटित किए जा सकेंगे।

परंतु, स्थानों का ऐसा आरक्षण जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति के कुल सदस्यों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(12) ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को, जिनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों की कोई जनसंख्या नहीं है उन्हें यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों के लिए आरक्षित स्थानों के आवंटन के लिए अपवर्जित कर दिया जायगा।

(13) उपधारा (11) के अधीन आरक्षित किया गया स्थान एवं अनारक्षित स्थानों का एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे तथा यह आरक्षण समस्तर एवं प्रभागवार होगा।

स्पष्टीकरण :- "समस्तर एवं प्रभागवार आरक्षण" से अभिप्रेत है प्रत्येक वर्ग अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य में आरक्षण।

(14) महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान विहित प्राधिकारी द्वारा विहित रीति में जल उपभोक्ता संस्था में भिन्न-भिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए लॉट निकाल कर और चक्रानुक्रम से आवंटित किये जा सकेंगे।

(15) जल उपभोक्ता क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायत/पंचायतों से एक सदस्य का नामांकन, जल उपभोक्ता समिति की प्रबंध समिति हेतु किया जायेगा, तथा ऐसे सदस्य को मतदान का अधिकार नहीं होगा।

परंतु, ऐसा नामांकन जल उपभोक्ता समिति की प्रबंध समिति द्वारा जल उपभोक्ता क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायत/पंचायतों की सहमति के साथ विहित रीति से होगा।

(16) जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति का अध्यक्ष, यदि पूर्व में अधिनियम के प्रावधानों द्वारा वापिस न बुलाया गया हो, या हटाया अथवा निरर्हित न हुआ हो, तो वे निर्वाचन तिथि से पांच वर्ष कालावधि या उनके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की सदस्यता अवधि तक पद पर रहेंगे जो भी पहले हो।

(17) प्रबंध समिति, जल उपभोक्ता संस्था की शक्तियों का

प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करेगी।

6. वितरिका क्षेत्र का अंकन

(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार, तीन या अधिक जल उपभोक्ता संस्थाओं को समाविष्ट करते हुए, सिंचाई प्रणाली के प्रत्येक कमाण्ड क्षेत्र को अंकित कर सकेगा, और उसे इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए वितरिका क्षेत्र घोषित कर सकेगा :

परंतु, मध्यम एवं वृहद योजना के लिए जल वितरण प्रणाली के आधार पर, वितरिका समिति का आवश्यकतानुसार गठन किया जा सकेगा।

(2) सिंचाई परियोजना और जल उपभोक्ता संस्था से संबद्ध प्रभारी, नहर अधिकारी द्वारा संयुक्ततः अनुशंसाओं के आधार पर (1) वितरिका क्षेत्र का अंकन किया जाएगा।

7. वितरिका समिति का गठन

(1) प्रत्येक ऐसे वितरिका क्षेत्र के लिए, जिसमें उपधारा (1) के अधीन उस रूप में घोषित किया जाए, एक वितरिका समिति होगी, जो उसके स्थानीय सुभिन्न नाम से जानी जाएगी।

(2) (क) वितरिका क्षेत्र में जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यगण, जब तक वे इस पद पर कार्यरत हैं, समिति की सामान्य सभा का गठन करेंगे ;

(ख) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जल संसाधन विभाग और कृषि विभाग या आयाकट विभाग से एक-एक अधिकारी का नामांकन, वितरिका समिति के सलाहकार सदस्य के रूप में कर सकेगी, तथा इन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा।

8. वितरिका समिति की प्रबंध समिति का गठन तथा अध्यक्ष एवं सदस्यों का निर्वाचन

(1) प्रत्येक वितरिका समिति के लिए, एक प्रबंध समिति होगी।

(2) राज्य सरकार, प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के, जो कि वितरिका समिति के साधारण निकाय के पांच सदस्यों या उससे अधिक किंतु पंद्रह से अधिक नहीं होंगे, जिनकी संख्या का निर्धारण वितरिका समिति के कमाण्ड क्षेत्र के आधार पर होगा, एवं जो वितरिका समिति की साधारण सभा के सदस्यों में से होंगे, का गुप्त मतदान पद्धति द्वारा निर्वाचन के लिए, ऐसी रीति में जो कि विहित की जाए, करेगा :

परंतु, यदि निर्वाचन में वितरिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष या सदस्यों के लिए कोई निर्वाचित नहीं होते हैं, तो

90 दिवस के भीतर उपरोक्तानुसार पुनः निर्वाचन कराया जाएगा।

(3) राज्य सरकार, जल संसाधन विभाग के समुचित स्तर के अधिकारी का नामांकन, वितरिका समिति की प्रबंध समिति के सचिव के रूप में कर सकेगी। ऐसे अधिकारी को मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(4) अध्यक्ष की सहायता के लिए एक कोषाध्यक्ष का चुनाव प्रबंध समिति द्वारा उसके सदस्यों में से होगा एवं कोषाध्यक्ष, प्रबंध समिति के निर्देशन में कार्य करेंगे।

(5) परंतु, जल के साम्यपूर्ण वितरण हेतु, प्रबंध समिति में जल उपभोक्ता क्षेत्र के शीर्ष, मध्य एवं अंतिम क्षेत्र को पर्याप्त प्रतिनिधित्व विहित रीति से किया जाएगा।

(6) प्रत्येक वितरिका समिति की प्रबंध समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये स्थान आरक्षित रखे जाएंगे, और इस प्रकार, आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस वितरिका समिति की प्रबंध समिति की कुल संख्या के साथ यथासाध्य वही होगा जो उस वितरिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, की या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के जल उपभोक्ताओं की संख्या का उस वितरिका क्षेत्र की कुल जल उपभोक्ताओं की संख्या के साथ है, ऐसे स्थान विहित प्राधिकारी द्वारा उस वितरिका समिति में विहित रीति में आरक्षित किए जा सकेंगे।

परंतु, स्थानों का ऐसा आरक्षण वितरिका समिति की प्रबंध समिति के कुल सदस्यों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(7) उपधारा (6) के अधीन आरक्षित किया गया स्थान एवं अनारक्षित स्थानों का एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे तथा यह आरक्षण समस्तर एवं प्रभागवार होगा।

स्पष्टीकरण :- "समस्तर एवं प्रभागवार आरक्षण" से अभिप्रेत है प्रत्येक वर्ग अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य में आरक्षण।

(8) महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान विहित प्राधिकारी द्वारा विहित रीति में आरक्षित किये जा सकेंगे।

(9) वितरिका क्षेत्र में स्थित जनपद पंचायत/पंचायतों से एक

सदस्य का नामांकन, वितरिका समिति की प्रबंध समिति हेतु किया जायेगा, तथा ऐसे सदस्य को मतदान का अधिकार नहीं होगा।

परंतु, ऐसा नामांकन वितरिका समिति की प्रबंध समिति द्वारा वितरिका क्षेत्र में स्थित जनपद पंचायत/पंचायतों की सहमति के साथ विहित रीति से होगा।

(10) प्रबंध समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को, यदि पूर्व में अधिनियम की धारा 14 के अधीन वापस न बुलाया गया हो, तो वे प्रथम सम्मिलन की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए पद पर रहेंगे।

परंतु, विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार पदावधि में एक वर्ष की वृद्धि कर सकेगी।

(11) घोषणा के पश्चात्, 30 दिवस के भीतर निर्वाचन की प्रबंध समिति का प्रथम सम्मिलन आहूत किया जायेगा।

(12) प्रबंध समिति, वितरिका समिति की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करेगी।

9. परियोजना क्षेत्र का अंकन

(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और इस निमित्त इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, प्रत्येक ऐसे कमाण्ड क्षेत्र या उसके भाग को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, परियोजना क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकेगा।

(2) परियोजना क्षेत्र की वितरिका समिति के अध्यक्षों और सिंचाई परियोजना के संबद्ध प्रभारी नहर अधिकारी द्वारा संयुक्ततः अनुशासकों के आधार पर उपधारा (1) परियोजना क्षेत्र का अंकन किया जाएगा।

10. परियोजना समिति का गठन

(1) प्रत्येक परियोजना क्षेत्र के लिए जिसे उपधारा (1) धारा 9 के अधीन उस रूप में घोषित किया जाए, एक परियोजना समिति होगी, जो कि उसके सुभिन्न नाम से जानी जाएगी।

(2) सिंचाई प्रणाली में जहां वितरिका समिति हैं, परियोजना क्षेत्र की वितरिका समिति की प्रबंध समिति के सभी अध्यक्ष, तथा सदस्यगण, जब तक वे अपने पद पर कार्यरत हैं, परियोजना समिति की सामान्य सभा का गठन करेंगे।

(3) सिंचाई प्रणाली में जहां कहीं वितरिका समिति नहीं है,

उस परियोजना क्षेत्र की जल उपभोक्ता संस्थाओं की प्रबंध समितियों के सभी अध्यक्षों एवं सदस्यों जब तक वे पद पर हैं, परियोजना समिति के साधारण सभा का गठन करेंगे।

(4) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, जल संसाधन विभाग तथा कृषि/आयाकट विभाग से एक-एक अधिकारी का नामांकन, परियोजना समिति के सलाहकार सदस्य के रूप में कर सकेगी, तथा इन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा।

11. परियोजना समिति के लिए प्रबंध समिति का गठन एवं अध्यक्ष व सदस्यों का निर्वाचन

(1) प्रत्येक परियोजना समिति के लिए एक प्रबंध समिति होगी।

(2) राज्य सरकार, परियोजना समिति के साधारण निकाय के सदस्यों में से 9 सदस्यों से अनाधिक का, गुप्त मतदान पद्धति द्वारा निर्वाचन व्यवस्था हेतु, ऐसी रीति से व्यवस्था करायेगा जैसा कि विहित की जावे :

परंतु, यदि निर्वाचन में प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं, तो विहित रीति से नया निर्वाचन कराया जाएगा।

(3) राज्य सरकार, जल संसाधन विभाग के समुचित स्तर के अधिकारी का नामांकन, परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सचिव के रूप में कर सकेगी। ऐसे अधिकारी को मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(4) अध्यक्ष की सहायता के लिए एक कोषाध्यक्ष का चुनाव प्रबंध समिति द्वारा उसके सदस्यों में से होगा एवं कोषाध्यक्ष, प्रबंध समिति के निर्देशन में कार्य करेंगे।

(5) परंतु, जल के साम्यपूर्ण वितरण हेतु, प्रबंध समिति में जल उपभोक्ता क्षेत्र के शीर्ष, मध्य एवं अंतिम क्षेत्र को पर्याप्त प्रतिनिधित्व विहित रीति से किया जाएगा।

(6) प्रत्येक परियोजना समिति की प्रबंध समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये स्थान आरक्षित रखे जाएंगे, और इस प्रकार, आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस परियोजना समिति की प्रबंध समिति की कुल संख्या के साथ यथासाध्य वही होगा जो उस परियोजना क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, की या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के जल उपभोक्ताओं की संख्या का उस परियोजना क्षेत्र की कुल जल उपभोक्ताओं की संख्या के साथ है, ऐसे स्थान विहित प्राधिकारी द्वारा उस परियोजना समिति में विहित रीति में आरक्षित किए जा सकेंगे।

परंतु, स्थानों का ऐसा आरक्षण परियोजना समिति की प्रबंध समिति के कुल सदस्यों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(7) उपधारा (6) के अधीन आरक्षित किया गया स्थान एवं अन्तर्गत स्थानों का एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे तथा यह आरक्षण समस्तर एवं प्रभागवार होगा।

स्पष्टीकरण :— “समस्तर एवं प्रभागवार आरक्षण” से अभिप्रेत है प्रत्येक वर्ग अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य में आरक्षण।

(8) महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान विहित प्राधिकारी द्वारा विहित रीति में आरक्षित किये जा सकेंगे।

(9) परियोजना क्षेत्र में स्थित जिला पंचायत/पंचायतों से एक सदस्य का नामांकन, परियोजना समिति की प्रबंध समिति हेतु किया जायेगा, तथा ऐसे सदस्य को मतदान का अधिकार नहीं होगा।

परंतु, ऐसा नामांकन परियोजना समिति की प्रबंध समिति द्वारा परियोजना क्षेत्र में स्थित जिला पंचायत/पंचायतों की सहमति के साथ विहित रीति से होगा।

(10) प्रबंध समिति के सभापति और सदस्यों की पदावधि, प्रथम सम्मिलन की तारीख से पांच वर्ष की होगी :

परंतु विशेष परिस्थितियों में, राज्य सरकार एक वर्ष के लिए पदावधि बढ़ा सकेगी।

(11) निर्वाचन की घोषणा के पश्चात्, तीस दिवस में प्रथम सम्मिलन आहूत किया जाएगा।

(12) परियोजना समिति के प्रबंध समितिके अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, यदि अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत वापस न बुलाया या हटाया या निरहित न किया गया हो तो, उनकी क्रमशः पदावधि के सहमार्गान्त होगी।

(13) प्रबंध समिति, परियोजना समिति की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करेगी।

12. राज्य स्तर पर कृषक संगठनों का परिसंघ

सिंचाई प्रणाली प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी, सिंचित कृषि संबंधित क्रियाकलापों तथा किसानों के राज्य सरकार व गैर सरकारी संगठनों से चर्चा में सहायता हेतु, इस अधिनियम के अंतर्गत कृषक संगठन, एक राज्य स्तरीय कृषक परिसंघ के गठन का निर्णय ले सकेंगे।

13. राज्य स्तरीय नीति समिति

(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा एक नीति समिति का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(क) प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग - सभापति (चेयर पर्सन) ;

(ख) परियोजना समिति के अध्यक्षों में से तीन व्यक्ति ;

(ग) लघु सिंचाई प्रणाली के जल उपभोक्ता संस्थाओं के अध्यक्षों में से दो व्यक्ति ;

(घ) गैर - सरकारी संगठनों से दो व्यक्ति जिसमें से एक, भागीदारी सिंचाई प्रबंधन क्षेत्र की जानकारी रखता हो ; और

(ङ) राज्य सरकार के तीन अधिकारी, जो की मुख्य अभियंता या उसके समतुल्य से निम्न श्रेणी के न हों, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग तथा आयाकट विभाग प्रत्येक से एक।

(2) सदस्यों की संख्या में उतनी वृद्धि की जा सकेगी, जितनी कि राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझी जावे।

(3) उपधारा (1) के अधीन गठित समिति में आवश्यक होगा कि परियोजना समिति तथा जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्षों में से कम से कम एक तिहाई, महिलायें ली जावें। शासकीय विभागों तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधित्व में भी यथा संभव एक तिहाई महिलायें होंगी।

(4) उपधारा (1) के अधीन गठित की गई समिति, ऐसी शक्तियों तथा ऐसे कृत्यों का प्रयोग करेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे।

14. वापस बुलाने की

(1) कृषकों के संगठन के, प्रबंध समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य को वापस बुलाने का प्रस्ताव, कृषक संगठन के सदस्यों

प्रक्रिया

की, जो मतदान करने के हकदार हों, कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित सूचना, जैसा कि विहित की जाए, किया जाएगा :

परंतु इस धारा के अधीन प्रस्ताव की कोई सूचना, ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध प्रस्ताव, प्रस्तावित करना चाहा गया है, के पद धारण करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर, नहीं की जाएगी।

(2) यदि, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत या मतदान करने वाली संस्था के सदस्यों की कुल संख्या के आधे सदस्यों द्वारा समर्थित कोई प्रस्ताव इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाए गए साधारण निकाय के सम्मिलन में लाया जाता है, तो यथास्थिति, जिला कलेक्टर या राज्य सरकार, आदेश द्वारा उसे उसके पद से हटा सकेगी और रिक्ति को धारा 20 में विनिर्दिष्ट रीति में भरा जाएगा।

15. प्रबंध समिति द्वारा अध्यक्ष को हटाए जाने की प्रक्रिया

कृषकों के संगठन के सदस्यों द्वारा, अध्यक्ष को, उस प्रबंध समिति के दो तिहाई सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव पारित कर, संगठन के प्रबंध समिति से हटाया जा सकता है।

16. कृषकों के संगठन में उपसमिति का गठन

(1) कृषकों के संगठन की प्रबंध समिति, इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक संगठन में निहित किन्हीं या समस्त कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए उपसमितियों का गठन कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अंतर्गत गठित उपसमितियों में संबंधित कृषक संगठन की, कम से कम एक तिहाई महिला सदस्यों का होना जरूरी है।

17. कृषक संगठन एक निगमित संगठन होगा

प्रत्येक कृषक संगठन अपने सुभिन्न नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और इस अधिनियम के उपबंधों के अधधीन रहते हुए, उस हैसियत से संविदाएं कर सकेगा, तथा ऐसी समस्त बातें, जो उस प्रयोजन के लिए आवश्यक, उचित या समीचीन हों जिसके लिए वह गठित किया गया था, कर सकेगा और वह उसके निगमित नाम से यथास्थिति, अध्यक्ष के माध्यम से वाद ला सकेगा या उस पर वाद लाया जा सकेगा :

परंतु कृषकों के किसी भी संगठन को, उसमें निहित संपत्ति को, किसी भी रीति में अन्य संक्रान्त करने की शक्ति नहीं होगी।

18. कृषक संगठन में परिवर्तन राज्य सरकार, कमाण्ड क्षेत्र में किसी कृषक संगठन के हित में, संबंधित कृषक संगठन की पूर्व सहमति से, अधिसूचना द्वारा, और इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार,—

- (क) किसी कृषक संगठन से, किसी क्षेत्र को पृथक कर, एक नया कृषक संगठन बना सकेगा ;
- (ख) किसी कृषक संगठन के क्षेत्र में वृद्धि कर सकेगा ;
- (ग) किसी कृषक संगठन के क्षेत्र में कमी कर सकेगा ;
- (घ) किसी कृषक संगठन की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगा ; या
- (ङ) किसी भूल की परिशुद्धि करने के लिए अधिनियम के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना को रद्द कर सकेगा ;

परंतु, ऐसा कोई पृथक्करण, वृद्धि, कमी, परिवर्तन या रद्दकरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संभाव्यतः प्रभावित होने वाले संगठन को, युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

19. अभ्यर्थी या सदस्य की निरर्हता

(1) भारत सरकार, या किसी राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी का कोई अधिकारी या सेवक या राज्य सरकार की निधि से सहायता प्राप्त कर रही किसी संस्था का कोई कर्मचारी, प्रबंध समिति, का अध्यक्ष अथवा सदस्य चुने जाने या होने के लिए अर्हित नहीं होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसे किसी दंड न्यायालय द्वारा किन्हीं अपराधों जिसमें नैतिक दुराचरण अंतर्बलित हो, के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है, किसी प्रबंध समिति के अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में चुने जाने या होने के लिए अर्हित नहीं होगा।

(3) किसी प्रबंध समिति के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निरर्हित होगा, यदि निर्वाचन के लिए नामांकन की छानबीन की लिए नियत की गई तारीख को वह —

(क) विकृत चित्त का है ;

(ख) दिवालिया या उन्मोचित दिवालिया, न्यायनिर्णित होने के रूप में आवेदक हों ; या

(ग) भू-राजस्व या जल कर या प्रभार जो या तो राज्य सरकार को या कृषक संगठन को देय हो, का व्यतिक्रमी है ;

परंतु उपरोक्त व्यतिक्रमी, पूर्ववर्ती तीन वर्षों का

भुगतान कर देने पर निरहित नहीं होगा, तथा उपरोक्त गत तीन वर्षों की सीमा इस अधिनियम के अधिनियमित होने के पश्चात् होने वाले प्रथम चुनाव पर ही लागू होगी।

(घ) ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार या कृषक संगठन के साथ की गई अस्तित्वयुक्त संविदा या उनके लिए किए जा रहे संकर्म में हितबद्ध हो :

परंतु किसी व्यक्ति का संविदा या संकर्म में कोई हित होना, केवल इस कारण से नहीं समझा जाएगा कि उसमें उसका अंश या हित :-

(एक) किसी कंपनी में मात्र अंश धारक के रूप में है लेकिन संचालक के रूप में न हो ;

(दो) किसी स्थावर संपत्ति के पट्टों, विक्रय या क्रय अथवा इसी हेतु किसी करार में हैं ; या

(तीन) धन के उधार या केवल धन के भुगतान के लिए प्रतिभूति के लिए किसी करार में हैं ; या

(चार) किसी ऐसे समाचार पत्र में हैं, जिसमें कृषक संगठन के कार्यकलापों से संबंधित विज्ञापन अंतः स्थापित हों ;

स्पष्टीकरण :- शंकाओं को दूर करने के लिए, एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि जहां किसी संविदा का पूर्व निर्वहन हो गया हो, तो वह मात्र इस आधार पर अस्तित्वयुक्त नहीं समझी जाएगी कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कृषक संगठन, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार ने अपने भाग की संविदात्मक बाध्यताओं का निर्वहन नहीं किया है ;

(ड) जल उपभोक्ता संस्था के गठन के पश्चात्, कार्य क्षेत्र की भूमि का विक्रय करने या अंतरण करने के कारण भूमिहीन व्यक्ति ;

(च) शासकीय या अर्द्धशासकीय अथवा स्थानीय निकाय में नियोजित है।

(4) प्रबंध समिति का अध्यक्ष अथवा सदस्य पद पर बने रहने से निरहित हो जाएगा यदि वह -

(क) लगातार तीन सम्मिलनों में, युक्तियुक्त कारण के बिना अनुपस्थित रहता है ;

(ख) -- वह व्यक्ति जो उपधारा (1), (2) तथा (3) में वर्णित किसी भी निरर्हताओं में से कोई निरर्हता प्राप्त है, तो वह तत्काल अपने पद पर नहीं रहेगा ;

परंतु खंड (क) के अधीन निरर्हता, ऐसी महिला, जो गर्भावस्था की उन्नत अवस्था में हैं और प्रसव के पश्चात् तीन मास की कालावधि तक के मामले में लागू नहीं होगी।

(5) जल उपभोक्ता संथा का कोई सदस्य या किसी प्रबंध समिति का अध्यक्ष अथवा सदस्य पद पर बने रहने से निरर्हित हो जाएगा, यदि वह जल उपभोक्ता नहीं रह जाता/जाती है।

20. रिक्तियों का भरा जाना

(1) कोई रिक्ति, जो धारा 14 तथा धारा 19 के अधीन निरर्हता के कारण हुई है या मृत्यु या पद त्याग के कारण या किसी कारण से हुई है तो ऐसी रिक्ति निम्नलिखित रीति में नाम निर्देशन द्वारा भरी जावेगी अर्थात् :-

(क) जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष पद की रिक्ति हेतु, जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव किया जायेगा। निर्णय लेने में असफल रहने पर, जिला कलेक्टर, प्रबंध समिति के सदस्यों से कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करेगा। रिक्तियों के होने की स्थिति में प्रबंध समिति के सदस्य अथवा प्रबंध समिति के किसी सदस्य के अध्यक्ष मनोनीत होने पर जिला कलेक्टर उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विहित रीति से निर्वाचन की व्यवस्था करेगा ;

(ख) वितरिका समिति के अध्यक्ष पद की रिक्ति हेतु वितरिका समिति के प्रबंध समिति द्वारा अपने सदस्यों में से एक कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव किया जायेगा, निर्णय लेने में असफल रहने पर परियोजना समिति की प्रबंध समिति, विहित रीति से कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करेगी वितरिका समिति की प्रबंध समिति के सदस्य के रिक्तियों के होने के स्थिति में अथवा प्रबंध समिति के किसी सदस्य के अध्यक्ष मनोनीत होने पर, संबंधित मुख्य अभियंता, उस संबंधित जल उपभोक्ता संथा से एक प्रतिनिधि नियुक्त करेगा ;

(ग) परियोजना समिति के अध्यक्ष पद के रिक्ति हेतु, परियोजना समिति के प्रबंध समिति द्वारा, अपने सदस्यों में से एक कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव किया जायेगा, निर्णय लेने में असफल रहने पर संबंधित मुख्य अभियंता, परियोजना समिति के किसी एक सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करेगा। परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सदस्य की रिक्तियों के होने की स्थिति में अथवा परियोजना समिति के किसी सदस्य के अध्यक्ष मनोनीत होने पर संबंधित मुख्य अभियंता, उस संबंधित वितरक समिति से एक प्रतिनिधि नियुक्त करेगा।

(2) जहां जिला कलेक्टर को, धारा 1 के अधीन किसी रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कराने की आवश्यकता हो, तो ऐसे रिक्ति को भरने हेतु ऐसे रिक्ति होने के दो माह के भीतर राज्य सरकार को चुनाव कराने होंगे, किंतु यदि साधारण चुनाव 3 माह के भीतर होने वाले हैं, तो ये चुनाव भी साधारण चुनाव के साथ होंगे।

(3) उपधारा (2) के अंतर्गत, कृषक संगठन के निर्वाचित अध्यक्ष अथवा सदस्य की पदवधि का अवसान उसी भांति होगा, जैसा कि साधारण चुनाव में निर्वाचित होने पर होता।

21. उद्वहन एवं ट्यूब वेल सिंचाई के लिए जल उपभोक्ता संस्था

इस अधिनियम के अधीन, प्रत्येक उद्वहन सिंचाई एवं ट्यूब वेल स्कीम के लिए, एक जल उपभोक्ता संस्था का गठन किया जाएगा।

22. उद्वहन एवं ट्यूब वेल सिंचाई जल उपभोक्ता संस्था के कार्य क्षेत्र का अंकन

इस अधिनियम के अंतर्गत, एक नहर अधिकारी जो कि, कार्यपालन अभियंता स्तर से नीचे का न हो, जिसे सक्षम प्राधिकरण द्वारा इस बाबत शक्ति दी गई हो, इस अधिनियम के अंतर्गत नियमों के अनुसार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, उद्वहन तथा ट्यूब वेल जल उपभोक्ता संस्थाओं के कमांड क्षेत्र का विहित मार्गदर्शिका पर आधारित विधि से अलग से अंकन करेगा, तथा इन क्षेत्रों को संबंधित उद्वहन तथा ट्यूबवेल सिंचाई जल उपभोक्ता संस्था का कार्यक्षेत्र घोषित करेगा।

23. सतह सिंचाई के कमांड क्षेत्र में स्थित अधिसूचित नदी या जल धारा पर उद्वहन संस्था के गठन की अनुमति

नहर अधिकारी जो कि कार्यपालन अभियंता से निम्न श्रेणी का न हो, तथा जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस बाबत शक्ति दी गई हो, सतह सिंचाई तथा उद्वहन सिंचाई के कमांड क्षेत्र के व्यतिक्रम तथा कठिनाईयों को रोकने के लिए, लाभान्वित किसानों की पूर्वानुमति से सतह सिंचाई के कमांड में स्थित अधिसूचित नदी या जल धारा पर विहित विधि द्वारा सतह सिंचाई तथा उद्वहन सिंचाई के क्षेत्रों का अलग से अंकन कर, उद्वहन

सिंचाई जल उपभोक्ता संथा के गठन की अनुमति देगा।

अध्याय-3

कृषक संगठन का उद्देश्य, शक्तियां और कृत्य

24. उद्देश्य

कृषक संगठन का उद्देश्य जल का उसके उपभोक्ताओं के बीच अभिवर्धन करना तथा जल के वितरण को सुनिश्चित करना, सिंचाई प्रणाली का पर्याप्त संधारण करना, कृषि उत्पादों की वृद्धि करने के लिए जल का दक्षता पूर्ण तथा मित्तव्ययी उपयोग करना, पर्यावरण का संरक्षण करना तथा कृषकों को उसमें शामिल करते हुए, परिस्थितियों की संतुलन करना, जल बजट तथा कार्य योजना के अनुसार सिंचाई प्रणाली के स्वामित्व की भावना को समझना होगा।

कृषक संगठन, अपने कमाण्ड क्षेत्र में अपने सदस्यों के उभयहित की गतिविधियां जो कि सिंचाई तथा कृषि से संबंधित हों, जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक का उपार्जन, कृषि यंत्रों का उपार्जन तथा किराये पर देना, कमाण्ड क्षेत्र से प्राप्त कृषि उत्पादों का विपणन तथा प्रसंस्करण, तथा अनुपूरक व्यवसाय जैसे पशुपालन और मछलीपालन इत्यादि कार्यों में भी संलग्न हो सकता है।

25. जल उपभोक्ता संथा की शक्तियां एवं कृत्य

(1) जल उपभोक्ता संथा निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् :-

(क) प्रत्येक सिंचाई सीजन के लिए, यथास्थिति, वितरिका समिति या परियोजना समिति द्वारा यथा अनुमोदित हकदारी क्षेत्र, भूमि तथा फसल क्रय पर आधारित कार्य योजना से संगत, बाराबंदी अनुसूची तैयार करना तथा उसे क्रियान्वित करना ;

(ख) प्रत्येक फसल सीजन की समाप्ति पर, उसके कार्य क्षेत्र में सिंचाई प्रणाली के संधारण के लिए एक योजना तैयार कर क्रियान्वित करना तथा समय-समय पर संथा की निधि से उसके कार्य क्षेत्र में, वितरक प्रणाली तथा लघु और खेत, नाली दोनों के अनुरक्षण कार्यों को कार्यान्वित करना और कर्मचारीवृंद जिसमें ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हैं, जो सिंचाई पद्धति के विनियोजन और संधारण के प्रयोजन के लिये, जल उपभोक्ता संथा के

साथ, राज्य सरकार द्वारा रखे गए हैं, के संधारण के लिए निधियां उपलब्ध कराना ;

(ग) , उच्च स्तरीय समिति अथवा संबंधित नहर अधिकारी द्वारा नहर कार्य अनुसूची से संबंधित जानकारी को प्राप्त करना ;

(घ) प्रत्येक सिंचाई सीजन के पूर्व प्रबंध समिति की निम्नलिखित बिंदुओं के संबंध में सदस्यों के मार्गदर्शन तथा सहायता हेतु बैठक आहूत करना -

(एक) नहर कार्य अनुसूची और जल वितरण कार्यक्रम ;

(दो) सीजन के आरंभ के पूर्व नहर प्रणाली का संधारण ;

(तीन) उच्च स्तरीय समिति द्वारा तत्समय लिए गए निर्णयों की जानकारी देना ;

(ड) प्रबंध समिति के लिए जल बंटवारा, फसल अनुसूची, कार्य और सिंचाई प्रणाली का संधारण से संबंधित निर्णय से पूर्व संस्तुति करना ;

(च) इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात्, बकाया सहित विहित दर पर जल प्रभार को संस्था के सदस्यों से वसूल करना और ऐसी वसूली गई राशि को विहित रीति से जमा करना ;

(छ) अधिनियम के लागू होने के पूर्व के जल प्रभार के बकाया की वसूली, राज्य सरकार द्वारा समुचित प्रवर्तक योजना के अंतर्गत और नियमों के अधीन विहित अनुसार की जाएगी ;

(ज) उसके क्षेत्राधिकार की नहर प्रणाली का वार्षिक संधारण तथा सुधार करना ;

(झ) . वाराबंदी अनुसूची की प्रणाली के अनुसार, उसके कार्य क्षेत्र के अधीन विभिन्न पाइप निकास से जल उपयोग को विनियमित करना ;

(ञ) आबंटित किए गए जल के उपयोग में मितव्ययिता को प्रोन्नत करना ;

(ट) भू-धारकों का एक रजिस्टर रखना, जैसा कि राजस्व विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाए ;

(ठ) सहयोजित सदस्यों का एक रजिस्टर तैयार करना एवं रखना ;

(ड) कार्य क्षेत्र के भीतर सिंचाई प्रणाली की सूची (इन्वेन्ट्री) तैयार करना तथा रखना ;

(ढ) सिंचाई के लिए जल के बहाव का अनुश्रवण (मानिटर) करना ;

(ण) सिंचित कृषि के संबंधित सभी सहबद्ध क्रियाकलापों का जिम्मा ;

(त) जल उपभोक्ताओं तथा सदस्यों के बीच उसके कार्य क्षेत्र में यदि कोई दिवाद हो, तो उसका निराकरण;

(थ) संसाधनों में वृद्धि करना ;

(द) लेखा संधारण ;

(ध) उसके लेखाओं का वार्षिक संपरीक्षा करना ;

(न) प्रबंध समिति के निर्वाचनों के संचालन में सहायता करना ;

(प) अन्य अभिलेखों को, ऐसी रीति में रखना जैसी कि विहित की जाए ;

(फ) वित्तिका समिति तथा परियोजना समितियों के विनिश्चयों का पालन करना ;

(ब) साधारण निकाय के सम्मिलनों को ऐसी रीति में संचालित करना, जैसी कि विहित की जाए ;

सदस्यों के अधिकारों का संचालन करना ;

(भ) जल के नियमित बजट का संचालन करना तथा सामयिक सामाजिक संपरीक्षा ऐसी रीति में संचालित करना, जैसा कि विहित किया जाए।

(2) अतिक्रमण हटाने की शक्ति : जल उपभोक्ता संथा, अपने कार्यक्षेत्र में नहरों से सटे हुए संपत्ति के अतिक्रमण को वैसी प्रक्रिया से हटा सकेगी, जैसी कि विहित किया जाए।

(3) जल उपभोक्ता संथा के साथ अनुबंध :-

(क) जल उपभोक्ता संस्था और उच्च स्तरीय समिति या नहर अधिकारी के मध्य, जल उपभोक्ता संस्था के गठन के तीन मास के भीतर अनुबंध किया जाएगा ;

(ख) कृषकों द्वारा सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन के क्षेत्र के भीतर किसी जल उपभोक्ता संस्था को सिंचाई हेतु जल प्रदाय तथा कृषक संगठनों के क्षेत्र के भीतर जल प्रदाय तथा सिंचाई प्रणाली का उचित संधारण व मरम्मत के लिए उपरोक्त अनुबंध के अनुसार व्यवस्था करना ;

(ग) अनुबंध के विषय वस्तु में, जैसा कि विहित किया जावे, प्रावधान किये जाएंगे।

26. वितरिका समिति के कृत्य वितरिका समिति, निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात :

(क) प्रत्येक सिंचाई सीजन के आरंभ होने पर परियोजना समिति द्वारा तैयार की गई कार्य योजना के संगत उसके हकदारी क्षेत्र, भूमि (मिट्टी), फसल क्रम पद्धति पर आधारित कार्य योजना, तैयार करना ;

(ख) प्रत्येक सीजन के पूर्व संधारण कार्यों को प्राथमिकता से चिन्हित कर समालोचनात्मक संधारण कर, क्रियान्वित करना, उसके कार्य क्षेत्र के भीतर वितरिका तथा मध्यम नाली दोनों के संधारण के लिए योजना तैयार करना, समिति की निधि से अनुरक्षण संकर्म निष्पादित करना, निष्पादित किये गए कार्यों का अनुश्रवण (मानीटर) करना, और संतुष्ट होना कि वे विहित मापदंड से किए गए और कर्मचारीवृन्द जिनमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं, जो सिंचाई पद्धति के विनियमन और संधारण के प्रयोजन के लिए वितरिका समिति के साथ राज्य सरकार द्वारा रखे गए हैं, के संधारण के लिए निधियां उपलब्ध कराना ;

(ग) कार्य क्षेत्र में विभिन्न जल उपभोक्ता संस्था के बीच कार्य क्षेत्र के अधीन जल के उपयोग को विनियमित करना और सिंचाई के लिए जल के बहाव क्षेत्र का अनुश्रवण करना ;

(घ) जल उपभोक्ता संस्थाओं के मध्य उसके कार्य क्षेत्र में यदि कोई विवाद हो तो उसका निराकरण करना ;

(ङ) उसके कार्यक्षेत्र में जल उपभोक्ता संस्था का रजिस्टर रखना ;

(च) उसके कार्यक्षेत्र में सिंचाई प्रणाली जिसमें नाली

सम्मिलित है, की सूची (इन्वेन्ट्री) रखना ;

(छ) आबंटित किए गए जल के उपयोग में मितव्ययिता प्रोन्नत करना ;

(ज) लेखा रखना ;

(झ) वार्षिक संपरीक्षा कराना ;

(ञ) अन्य अभिलेख रखना, जैसा कि विहित किया जाए ;

(ट) सिंचाई के लिए जल के बहाव का अनुश्रवण करना ;

(ठ) साधारण निकाय के सम्मिलनों को ऐसी रीति में संचालित करना जैसा कि विहित किया जाए ;

(ड) परियोजना समिति के विनिश्चयों का पालन करना ;

(ढ) जल के नियमित बजट का संचालन करना तथा सामयिक सामाजिक संपरीक्षा, ऐसी रीति से कराना जैसी कि विहित किया जाए ;

(ण) प्रबंध समिति के निर्वाचनों के संचालन में सहायता करना ;

(त) उपरोक्त कृत्यों के पालन हेतु, संगठन के उपविधियों और उनके अंतर्गत नियम तथा मंजूरी का स्थापन करना ;

27. परियोजना समिति के कृत्य परियोजना समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् :-

(क) प्रत्येक सिंचाई सीजन के आरंभ में परियोजना क्षेत्र के संबंध में उसके हकदारी क्षेत्र, भूमि तथा फसल क्रम पर आधारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई कार्य योजना का अनुमोदन करना ;

(ख) प्रत्येक फसल सीजन की समाप्ति पर कार्य क्षेत्र के भीतर लागू योजना का विस्तार, अनुवृद्धि, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण तथा वृहद नाली को सम्मिलित करते हुए सिंचाई प्रणाली का वार्षिक अनुरक्षण और समय-समय पर समिति की निधि से अनुरक्षण, संकर्म निष्पादित करना और कर्मचारिवृंद जिसमें ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हैं, जो सिंचाई पद्धति के विनियमन और संधारण के प्रयोजन के लिए, परियोजना समिति के साथ राज्य सरकार द्वारा रखे गए

हैं, के संधारण के लिए निधियां उपलब्ध कराना ;

(ग) उसके कार्यक्षेत्र में, वितरिका समिति एवं जल उपभोक्ता संथा की सूची रखना ;

(घ) उसके कार्य में वितरिका, तथा जल निकास प्रणाली की सूची रखना ;

(ङ) कार्यक्षेत्र की वितरिका तालिका एवं निकास प्रणाली की तालिका बनाना ;

(च) वितरिका समिति में कोई विवाद हो तो उसका निराकरण करना ;

(छ) जल के उपयोग में मितव्ययिता को प्रोन्नत करना ;

(ज) लेखा रखना ;

(झ) उसके अभिलेखों की वार्षिक संपरीक्षा कराना ;

(ञ) उसके अभिलेखों को ऐसी रीति से रखना, जैसा कि विहित किया जाए ;

(ट) साधारण निकाय के सम्मिलन ऐसी रीति में, संचालित करना जैसी कि विहित किया जाए ;

(ठ) जल का नियमित बजट बनवाना तथा सामाजिक सामयिक संपरीक्षा की ऐसी रीति से संचालित करना जैसी कि विहित किया जाए ;

(ड) प्रत्येक वितरिका समिति एवं जल उपभोक्ता संथा को जल आबंटित करना और जल के उपयोग में मितव्ययिता को प्रोन्नत करना ;

(ढ) उपरोक्त कृत्यों के पालन हेतु संगठन के उपविधियों नियमों तथा मंजूरी का स्थापन करना।

28. सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति और उसके कार्य

(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जल संसाधन या किसी अन्य विभाग से ऐसे अधिकारी को, जैसा कि वह आवश्यक समझे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक कृषक संगठन के लिए, सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्ति कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारी, विहित रीति में कृषक संगठन द्वारा किए गए समस्त विनिश्चयनों के

कार्यान्वयन तथा निष्पादन के लिए अपने-अपने कृषक संगठन के प्रति उत्तरदायी होगा और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराएगा, तथा यह सुनिश्चित करेगा, कि तकनीकी पैरामीटर के अनुसार कार्य निष्पादित हो गया हो।

29. कतिपय मामलों में कृषक संगठन की संकर्मों का निष्पादन करने के लिए आदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति

(1) राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा, किसी भी कृषक संगठन को इस अधिनियम द्वारा किसी भी ऐसे कर्तव्य का पालन करने या किसी ऐसे संकर्म के संबंध में निर्देश दे सकेगी/सकेगा, जिसका उसके द्वारा यथास्थिति पालन या निष्पादन नहीं किया जा रहा है, और जिसका पालन या निष्पादन ऐसी कृषक संगठन द्वारा लोकहित में किया जाना, राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी की राय में आवश्यक है।

(2) कृषक संगठन, उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगी और यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी को उन निर्देशों को कृषक संगठन के व्यय से यदि कोई हों, अनुपालन कराने की समस्त शक्तियां होंगी, और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में वह, उस कृषक संगठन या उसके अधिकारी या सेवक जिसकी शक्तियां प्रयोग में लाई जाती हैं, के समान उस अधिनियम के अधीन उसी संरक्षण का, तथा उसी सीमा तक हकदार होगा।

30. आदेशों/संकल्पों आदि का निष्पादन निलंबित करने की शक्ति

(1) राज्य सरकार या इस अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, और उसमें कथित किए जाने वाले कारणों से, कृषक संगठन द्वारा पारित किसी संकल्प के, जारी किए गए किसी आदेश, या दी गई अनुज्ञा के निष्पादन को निलंबित कर सकेगा, या किसी कृषक संगठन द्वारा किसी कृत्य के पालन को प्रतिषिद्ध कर सकेगा, यदि उनकी राय में -

(क) ऐसा संकल्प, आदेश, अनुज्ञा या कार्य वैध रूप से पारित, जारी मंजूर या प्राधिकृत नहीं किया गया है/नहीं की गई है; या

(ख) ऐसा संकल्प, आदेश, अनुज्ञा या कार्य इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परे है, या किसी विधि के प्रतिकूल है; या

(ग) ऐसे संकल्प या आदेश के निष्पादन से या ऐसी अनुज्ञा के लगातार प्रवृत्त बने रहने या ऐसा कार्य किए जाने से -

(एक) कृषक संगठन में निहित, किसी धन की

हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग होना, या उसमें निहित किसी संपत्ति का नुकसान होना संभाव्य है ;

(दो) सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है।

(2) जब कभी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किया जाता है, तो वह यथा संभव शीघ्र और प्रत्येक दशा में, आदेश की तारीख से अधिक से अधिक दस दिन के भीतर, उस आदेश की एक प्रति और उसके साथ उसके किये जाने के कारणों का विवरण, इस अधिनियम के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय नीति समिति को अग्रेषित करेगा, और राज्य स्तरीय नीति समिति, ऐसे आदेश की पुष्टि कर सकेगा या अपास्त कर सकेगा, या उसे पुनरीक्षित कर सकेगा, या उसे उपांतरित कर सकेगा, या यह निर्देश दे सकेगा, कि वह आदेश उपांतरण सहित या उसके बिना स्थायी रूप से ऐसी कालावधि के लिए, जैसी वह ठीक समझे, प्रवृत्त बना रहेगा :

परंतु राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन पारित किया गया कोई भी आदेश, राज्य स्तरीय नीति समिति द्वारा तब तक पुष्ट, अपास्त, पुनरीक्षित या उपांतरित नहीं किया जाएगा, जब तक कि संबंधित कृषक संगठन को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध सुनवाई का यक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता है।

अध्याय-4

संसाधन एवं निधियां

31. कृषक संगठन के संसाधन (1) कृषक संगठन की निधि में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे, अर्थात् :-

(क) कृषक संगठन के कार्य क्षेत्र में संग्रहित जल कर के शेयर के रूप में राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान तथा कमीशन ;

(ख) कार्य क्षेत्र के विकास के लिए ऐसी अन्य निधियां जो राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की जाए ;

(ग) उसके कार्य में आर्थिक विकास क्रियाकलापों के किसी उपक्रम के लिए किसी वित्तीय अभिकरण के समुत्थापित संसाधन ;

(घ) सिंचाई प्रणाली से संलग्न संपत्तियां तथा आस्तियां से प्राप्त आय ;

(ङ) सिंचाई प्रणाली के बेहतर प्रबंध के लिए प्रदान की गई सेवाओं के लिए कृषक संगठन द्वारा संग्रहित

किया गया शुल्क ;

(च) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त रकम।

(2) राज्य सरकार, कृषक के संगठनों को उसके सिंचाई प्रणाली के संधारण तथा संगठन की उन्नति हेतु संसाधन अपनाने हेतु अधिकृत कर सकती है।

(3) जल उपभोक्ता संस्थाओं द्वारा वसूल किया गया जल कर, राज्य शासन के खजाने में जमा किया जायेगा। संबंधित जल उपभोक्ता संस्था को, ऐसी जमा की गई राशि का कम से कम 25 प्रतिशत अंश विहित रीति द्वारा सौंपा जायेगा ;

परंतु, वित्तिका समिति तथा परियोजना समिति को सौंपी जाने वाली राशि, इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गये नियमों द्वारा विहित होगी।

32. शुल्क का उद्ग्रहण एवं संग्रहण करने की शक्ति

कृषक संगठन, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तथा उसके कृत्यों का पालन करने के लिए, राज्य सरकार और या संगठन के निर्णयों के अनुसार समय-समय पर ऐसे शुल्क का उद्ग्रहण एवं संग्रहण करेगा जैसी कि विहित किया जाए।

33. जल उपभोक्ता संस्था की निधियों का उपयोग

जल उपभोक्ता संस्था द्वारा प्राप्त की गई समुत्थापित एवं उत्पादित की गई निधियों का उपयोग, जल उपभोक्ता संस्था के उद्देश्यों को परिपूर्ण करने में किया जाएगा, जैसा कि विहित किया जाए।

34. संपरीक्षा

प्रत्येक कृषक संगठन, वर्ष में एक बार लेखाओं का स्वतंत्र संपरीक्षक/संपरीक्षकों से संपरीक्षा करायेगा, जैसा कि विहित किया जाए।

35. निधियों का निक्षेप एवं प्रसरण

(1) कृषक संगठन अपने निधियों को, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या सहकारी बैंक अर्थात् जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक या छत्तीसगढ़ राज्य अपेक्स सहकारी बैंक रखेगा।

(2) निधियों का उपयोजन, इस अधिनियम के प्रसरण से संबंधित कृषक संगठन की प्रबंध समिति द्वारा उपगत किए गए व्यय की पूर्ति करने के लिये ही किया जाएगा और अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं।

36. निक्षेप निधि

(1) कृषक संगठन की प्रबंध समिति, उधार लिए गए धन के प्रति संदाय के लिए निक्षेप निधि का अनुरक्षण करेगा तथा निक्षेप निधि में प्रत्येक वर्ष इतनी रकम जमा करेगी, जो इस प्रकार

उधार लिए गए समस्त धन का नियत कालावधि के भीतर प्रतिसंदाय करने के लिए पर्याप्त हो।

(2) निक्षेप निधि या उसका कोई भाग, ऐसे ऋण के उन्मोचन में या उसके लिए उपयोजित किया जाएगा, जिसके लिए कि ऐसी निधि सृजित की गई थी, जब तक पूर्ण रूप से ऐसे ऋण का उन्मोचन न हो जाए, तब तक उसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोजन नहीं किया जाएगा।

37. बजट

कृषक संगठन की प्रबंध समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, ऐसे प्ररूप में, आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में समिति की प्राक्कलित प्राप्तियां एवं व्यय को दर्शाते हुए बजट तैयार करेगी तथा उसे कृषक संगठन के साधारण निकाय के समक्ष इसके अनुमोदन के लिए ऐसी रीति से रखेगी जैसी कि विहित की जाए।

38. शोध्यों की वसूली

कृषक संगठन को देय अथवा शोध्य समस्त रकम भू-राजस्व की भांति वसूली योग्य होगी।

अध्याय-5

अपराध तथा शास्तियां

39. अपराध तथा शास्तियां

जो कोई भी किसी विधि पूर्ण प्राधिकार के बिना निम्नलिखित में से कोई कार्य करेगा, अर्थात् :-

(क) किसी नहर को नुकसान पहुंचाएगा, उसे परिवर्तित करेगा या उसे बढ़ाएगा या उसमें बाधा डालेगा ;

(ख) किसी नहर में के जल प्रदाय में जल के उस प्रवाह में, जो कि उस नहर से उस नहर में होकर, उस नहर के ऊपर या नीचे होता हो, हस्तक्षेप करेगा, वृद्धि करेगा या कमी करेगा ;

(ग) किसी नदी या सरिता के जल प्रवाह में ऐसा हस्तक्षेप करेगा या ऐसा परिवर्तन करेगा, जिससे कि कोई नहर संकटापन्न हो जाए, उसे नुकसान पहुंचे या वह कम उपयोगी हो जाए ;

(घ) किसी जल धारा के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होते हुए या उस जलधारा का उपयोग करते हुए, उसके जल की बर्बादी को रोकने के लिए उचित पूर्वावधानी बरतने में उपेक्षा करेगा या उस जल धारा में से पानी के प्राधिकृत वितरण में हस्तक्षेप करेगा या ऐसे जल का अप्राधिकृत रीति में उपयोग करेगा ;

(ड) सिंचाई के लिए अपने खेत में जल प्राप्त करते समय, ऐसे जल की बर्बादी को रोकने के लिए उचित पूर्वावधानी बरतने में उपेक्षा करेगा ;

(घ) किसी नहर के जल को इस प्रकार दूषित करेगा या गंदा करेगा, कि जिससे उन प्रयोजनों के लिए, जिनके लिए वह मामूली तौर से उपयोग में लाया जाता है, उसकी उपयुक्तता में कमी आ जाए ;

(छ) किसी ऐसे ग्राम में, जिसमें छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम 1931 (क्रमांक 3, सन् 1931) की धारा 36 के अधीन उद्घोषणा की गई हो, निवास कर रहा हो, स्थायी धारक, अधिभागी, खेतिहर या कृषि श्रमिक होते हुए, नियत किए गए स्थान पर हाजिर होने में उपेक्षा करेगा या उसे आबंटित किए गए कर्तव्य का पालन करने से इंकार करेगा या उसकी उपेक्षा करेगा ;

(ज) किसी नहर अधिकारी के प्राधिकार से लगाए गए किसी भूमि चिन्ह, तल-चिन्ह, जलमापी या अन्य साधित्र को नष्ट करेगा, क्षति पहुंचाएगा, विरूपित करेगा या हटाएगा ;

(झ) किसी नहर के किन्हीं भी संकर्मों, तटों या जल संरणियों पर से या उसके आर-पार पशुओं या यानों को उस दिशा में गमना कराएगा, जबकि ऐसा गमनाधिकार किसी नहर अधिकारी द्वारा प्रतिबद्ध कर दिया गया हो ;

(ञ) किसी नहर के तट या सीमा पर पशुओं को चरवाएगा या रस्सी से बंधवाकर रखवाएगा या जानते हुए और जानबूझकर उन्हें चरने देगा या रस्सी से बांध कर रखा जाने देगा, जिसे किसी नहर अधिकारी द्वारा प्रतिषिद्ध कर दिया गया हो ;

(ट) किसी नहर पर उगे हुए किसी वृक्ष, झाड़ी, घास या अन्य वनस्पति को हटाएगा या क्षति पहुंचाएगा ; या

(ड) किसी नहर के तटों पर उसकी जलसंरणियों में मूल-मूत्र करेगा, वह कृषक संगठन द्वारा शिकायत की जाने पर ;

(एक) खंड (क) से (ज) तक में वर्णित अपराधों के संबंध में कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो एक हजार रुपये से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों में से और जहां अपराध चालू रहने वाला अपराध हो वहां ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम अपराध के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके कि दौरान

अपराध जारी रहा हो, बीस रुपये से अधिक न हो, दंडनीय होगा और

(दो) न्यूनतम शास्ति - खंड (झ) से (ठ) तक वर्णित अपराधों के संबंध में जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये से कम का नहीं होगा, किंतु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और यदि वही व्यक्ति वैसे ही अपराध के लिए प्रकरण में पश्चात्कर्ती सिद्ध दोष ठहराया जाए, तो वह प्रत्येक ऐसी पश्चात्कर्ती दोष सिद्धि के लिए कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

40. कृषकों के संगठन का विघटन

(1) राज्य सरकार, कृषक संगठन की प्रबंध समिति का विघटन कर सकती है, यदि ऐसी समिति शासकीय निधियों का समग्र दुर्विनियोग करते अथवा करवाते पाया जाता है।

(2) उपरोक्त उपधारा (1) के अंतर्गत प्रबंध समिति का विघटन, जांच, अनुसंधान तत्संबंधित नोटिस देने तथा जवाब प्राप्त करने के पश्चात् किया जा सकता है।

परंतु, जहां प्रबंध समिति विहित समयावधि या युक्तियुक्त अवधि के अंतर्गत उत्तर नहीं देती है, वैसी स्थिति में जवाब की प्रतीक्षा ना करते हुए प्रबंध समिति का विघटन किया जा सकता है।

41. अन्य विधियों के अधीन दंड वर्जित नहीं होगा

इस अधिनियम की कोई बात, किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा दंडनीय बनाए गए किसी कृत्य या चूक के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अभियोजित किए जाने और दंडित किए जाने से निवारित नहीं करेगी।

परंतु, किसी भी व्यक्ति को उसी अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित तथा दंडित नहीं किया जाएगा।

42. अपराधों का शमन

(1) कृषक संगठन किसी व्यक्ति से या जिसके संबंध में एक युक्तियुक्त विश्वास अनुमित किया जा सकता है, कि उसके इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है, या ऐसे अपराध के लिए प्रशमन स्वरूप धारा 40 के खंड (क) से (ज) तक में वर्णित अपराधों की दशा में कम से कम एक हजार रुपये तथा धारा 40 के खंड (झ) से (ठ) तक में वर्णित अपराधों के लिए, पांच सौ रुपये की धनराशि को स्वीकार कर सकेगा।

(2) ऐसी धन राशि के संदाय पर, कृषक संगठन द्वारा इस

प्रकार शमन किए गए अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

अध्याय-6

विवादों का निपटारा

43. विवादों का निपटारा

(1) कृषक संगठन के गठन, प्रबंध, शक्तियों या कृत्यों के संबंध में सदस्यों के मध्य उद्भूत कोई विवाद या मतभेद कृषक संगठन की प्रबंध समिति द्वारा अवधारित किया जाएगा।

परंतु किसी विवाद या मतभेद के निपटारे के लिए इस अधिनियम के अधीन बनाये नियम के अंतर्गत पृथक उपसमिति गठित की जा सकेगी।

(2) किसी सदस्य तथा जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के बीच या दो या दो से अधिक जल उपभोक्ता संथाओं के बीच उद्भूत कोई ऐसा विवाद या मतभेद वितरिका समिति की प्रबंध समिति द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(3) किसी सदस्य तथा वितरिका समिति की प्रबंध समिति या दो या दो से अधिक वितरिका समितियों के बीच उद्भूत कोई ऐसा विवाद या मतभेद, परियोजना समिति की प्रबंध समिति द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(4) किसी सदस्य तथा परियोजना समिति की प्रबंध समिति या दो या दो से अधिक परियोजना समिति के बीच उद्भूत कोई ऐसा विवाद या मतभेद, राज्य स्तरीय नीति समिति द्वारा अवधारित किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) इस धारा के अधीन प्रत्येक विवाद या मतभेद का निपटारा, विवाद अथवा मतभेद के निर्दिष्ट किए जाने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर किया जाएगा।

44. अपील

(1) जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति द्वारा किए गए किसी विनिश्चय या पारित किए गए किसी आदेश से व्यथित किसी विवाद या मतभेद का, कोई पक्षकार वितरिका समिति की प्रबंध समिति को अपील कर सकेगा जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा।

(2) वितरिका समिति की प्रबंध समिति द्वारा विनिश्चय या पारित किए गए आदेश से व्यथित मतभेद या विवाद का, पक्षकार परियोजना समिति को अपील कर सकेगा जिसका विनिश्चय उस

पर अंतिम होगा।

(3) परियोजना समिति की प्रबंध समिति द्वारा किया गया कोई विनिश्चय या पारित किए गए किसी आदेश से व्यथित मतभेद या विवाद का, कोई पक्षकार राज्य स्तरीय नीति समिति को अपील कर सकेगा, जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा।

(4) इस धारा के अधीन अपील व्यथित व्यक्ति को विनिश्चय या आदेश की संसूचना के 15 दिवस के भीतर की जाएगी।

(5) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील प्रस्तुत करने की तारीख से 15 दिवस के भीतर निपटाई जाएगी।

अध्याय-7

प्रकीर्ण

45. अभिलेख

(1) प्रत्येक कृषक संगठन अपने कार्यालय में निम्नलिखित लेख, अभिलेख तथा दस्तावेज, रखेगा/संभारित करेगा अर्थात्, :-

(क) कृषक संगठन के कार्य क्षेत्र के मानचित्र के साथ जल संसाधन विभाग के परामर्श से तैयार की गई संरचना तथा वितरिका जालों का मानचित्र ;

(ख) आस्तियों तथा दायित्वों का विवरण ;

(ग) कृषि समय सारणी और सिंचाई प्रबंधन और सिंचित कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय को शामिल करते हुए कार्यकलाप ;

(घ) कार्यवृत्त पुस्तक ;

(ङ) प्राप्ति तथा संदायों को दर्शित करने वाली लेखा बही ;

(च) कृषक संगठन द्वारा माल के संपूर्ण क्रय तथा विक्रय की लेखाबंदी ;

(छ) माप पुस्तकों का रजिस्टर, लेविल, फील्ड बुक्स, कार्य आदेश तथा उसी प्रकार के दस्तावेज ;

(ज) संपरीक्षा (आडिट रिपोर्ट्स तथा जांच रिपोर्ट्स

की प्रतियां ;

(झ) समस्त ऐसे अन्य लेखे, अभिलेख तथा दस्तावेज जो समय-समय पर विहित किए जाएं ;

(ञ) स्टाफ रजिस्टर ;

(ट) भूमिधारक के विवरणों के साथ उपभोक्ताओं की सूची ;

(ठ) शास्तियों का रजिस्टर।

(2) कृषक संगठन के सदस्यों की जानकारी के लिए लेखाबहियां तथा अन्य अभिलेख खुले रहेंगे।

46. सम्मिलन

कृषक संगठन तथा उसकी प्रबंध समितियों का सम्मिलन ऐसे अंतराल पर होगा, उसकी प्रक्रिया, उसकी अध्यक्षता तथा गणपूर्ति इस प्रकार होगी जैसी कि विहित की जाए।

47. त्याग - पत्र

(1) कृषक संगठन की प्रबंध समिति का सदस्य, संबंधित प्रबंध समिति के अध्यक्ष को पंजीकृत डाक द्वारा पत्र भेजकर या स्वयं पत्र निविदत्त कर अपना पद त्याग सकेगा।

(2) जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति का अध्यक्ष, संबंधित वितरिका समिति के अध्यक्ष को पंजीकृत डाक द्वारा पत्र भेजकर या स्वयं पत्र निविदत्त कर अपना पद त्याग सकेगा।

(3) वितरिका समिति की प्रबंध समिति का अध्यक्ष, संबंधित परियोजना समिति के अध्यक्ष को पंजीकृत डाक द्वारा पत्र भेजकर या स्वयं पत्र निविदत्त कर अपना पद त्याग सकेगा।

(4) परियोजना समिति की प्रबंध समिति का अध्यक्ष, राज्य स्तरीय नीति समिति के अध्यक्ष को पंजीकृत डाक द्वारा भेजकर या स्वयं पत्र निविदत्त कर अपना पद त्याग सकेगा।

(5) यथा उपरोक्त वर्णित त्याग-पत्र उसकी स्वीकृति की तारीख से या उसकी प्राप्ति की तारीख से 30 दिवस का अवसान होने पर, उनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रभावशील होंगे।

48. नियंत्रक अधिकारी की नियुक्ति

(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कृत्यों के पालन करने में सक्षम प्राधिकारियों तथा जिला कलेक्टरों पर सामान्य नियंत्रण तथा अधीक्षण रखने के लिए अधिसूचना द्वारा एक नियंत्रक अधिकारी की जो राज्य सरकार के सचिव की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो नियुक्त कर सकेगा।

(2) नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां

तथा निर्वहन किए जाने वाले कृत्य ऐसे होंगे, जो कि विहित किए जाएं।

49. संक्रमणकालीन
इंतजाम

राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी कृषक संगठन और उसकी प्रबंध समिति की शक्तियों के प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, किसी अधिकारी की नियुक्ति तब तक के लिए कर सकेगी, जब तक कि उस समय तक कृषक संगठन का गठन या पुनर्गठन नहीं हो जाता या इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसी प्रबंध समिति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेती।

50. कृषक संगठन के
आदेशों तथा
दस्तावेजों का
अधिप्रमाणन

कृषक संगठन की समस्त अनुज्ञाओं, आदेशों, विनिश्चयों तथा अन्य दस्तावेजों को कृषक संगठन के अध्यक्ष के या इस निमित्त प्रबंध समिति द्वारा प्राधिकृत प्रबंध समिति के किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किया जाएगा।

51. अनौपचारिकता या
रिक्ति आदि द्वारा
कृत्य का अविधिमान्य
न होना

कृषक संगठन की प्रबंध समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अवधि मान्य नहीं होगी कि उक्त समिति के गठन में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

52. सदभावपूर्वक किये
गये कार्यों का संरक्षण

किसी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी भी ऐसी बात के लिए, जो कि इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सदभावपूर्वक की गई हो या किया जाना आशायित रहा हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित नहीं की जाएंगी।

53. कठिनाईयों को दूर
करने की शक्ति

(1) यदि, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में या इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात्, किसी कृषक संगठन का प्रथम गठन या पुनर्गठन करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, अवसर की अपेक्षानुसार कोई भी कार्य जो कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक हो, उन्हें कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए समस्त आदेश यथाशक्य शीघ्र विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे।

54. व्यावृत्ति

(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिक परिषद या नगर निगम में निहित अधिकारों या संपत्तियों को प्रभावित नहीं करेगी।

55. नियम बनाने की
शक्तियां

(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना

सकेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

56. आदर्श उपविधि और विनियम बनाने की शक्तियाँ

(1) राज्य सरकार, जल उपभोक्ता संस्था के नार्गदर्शन तथा अंगीकरण हेतु आदर्श विनियमों को शामिल करते हुए, आदर्श उपविधि प्रकाशित करेगी।

(2) जल उपभोक्ता संस्था, इन आदर्श उपविधियों तथा विनियमों को आवश्यक सुधारों के साथ, जो कि वह उचित समझे तथा, जो इस अधिनियम के उद्देश्यों, प्रावधानों तथा आवश्यक स्वभाव के विपरीत न हो, को अपना सकेगी।

57. निरसन

छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999 (क्रमांक 29 सन् 1999) एवं इसके अधीन, पारित समस्त आदेश, संकल्प यदि कोई हो, तो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले विषयों के संदर्भ में, एतद् द्वारा निरसित अथवा विखण्डित, यथा स्थिति किए जाते हैं।

परंतु इस प्रकार निरसित अधिनियम के अंतर्गत दिया गया कोई भी आदेश अथवा की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किए गए आदेश या की गई कारवाई समझी जाएगी, को ऐसा माना जाएगा, कि वह इस अधिनियम के सामानान्तर प्रावधानों के अंतर्गत दिया गया अथवा की गई है।

रायपुर, दिनांक 24 मई 2006

क्रमांक 38/डी-152/21-अ/प्रारूपण/06.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छ. ग. सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 2006 (क्र. 20 सन् 2006) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 20 of 2006)

THE CHHATTISGARH SINCHAI PRABANDHAN ME KRISHKON KI BHAGIDARI
ADHINIYAM, 2006

TABLE OF CONTENTS

Sections: - CHAPTER-I-PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.

2. Definitions

CHAPTER-II-CONSTITUTION OF FARMERS' ORGANISATION AND
DELINEATION OF COMMAND AREA THEREOF

3. Delineation of water users' area.

4. Constitution of Water Users Association.

5. Constitution of Managing Committee of Water Users Association and election of its President and Members.

6. Delineation of Distributory area.

7. Constitution of the Distributory Committee.

8. Constitution of Managing Committee of Distributory Committee and election of its President and Members.

9. Delineation of Project area.

10. Constitution of Project Committee.

11. Constitution of Managing Committee of Project Committee and election of its President and Members.

12. Federation of Farmers Organization at the State Level.

13. State Level Policy Committee.

14. Procedure for recall.

15. Procedure for Removal of the President by the Managing Committee.

16. Constitution of Sub-committees in farmers' organisation.

17. Farmers' organisation to be a body corporate.
18. Changes of Farmers' organisation.
19. Disqualification of Candidates or Members.
20. Filling up of Vacancies.
21. Water Users Association for Lift and Tube Well Irrigation.
22. Delineation of areas of operation of Lift and Tube Well Irrigation Water Users' Associations.
23. Permission to form Lift Irrigation Water Users' Association on notified rivers or streams in command of flow irrigation.

CHAPTER-III-OBJECTS, POWERS AND FUNCTIONS OF THE FARMERS' ORGANISATION

24. Objects.
25. Powers and Functions of Water Users' Association.
26. Functions of Distributory Committees.
27. Functions of Project Committees.
28. Appointment of competent authority and his function.
29. Power of the State Government to Execute some of the Works of the Farmers Organisation.
30. Power to Suspend the Effect of Resolutions/Orders.

CHAPTER-IV-FUNDS AND RESOURCES OF FARMERS ORGANISATION

31. Resources of farmers' Organisation.
32. Power to levy and collect fee.
33. Utilization of Funds for Water Users' Association.
34. Audit.
35. Deposit and administration of the funds.
36. Sinking Fund.
37. Budget.

38. Recovery of dues.

CHAPTER-V-OFFENCES AND PENALTIES

39. Offences and Penalties.
40. Dissolution of Management Committee of a Farmers' Organisation.
41. Punishment under other laws not barred.
42. Composition of offences.

CHAPTER-VI-SETTLEMENT OF DISPUTES.

43. Settlement of disputes.
44. Appeals.

CHAPTER-VII-MISCELLANEOUS

45. Records.
46. Meetings
47. Resignation
48. Appointment of Controlling Officers.
49. Transitional arrangement.
50. Authentication of orders and documents of organisation.
51. Acts not to be invalidated by informality or vacancy etc.
52. Protection of Acts done in good faith.
53. Power to remove difficulties.
54. Savings.
55. Power to make rule.
56. Power to make Model Bye-laws and Regulations.
57. Repeal.

CHHATTISGARH ACT
(No. 20 of 2006)

**THE CHHATTISGARH SINCHAI PRABANDHAN ME KRISHKON KI BHAGIDARI
ADHINIYAM, 2006**

An Act to Provided for Formers Participation in the Management of Irrigation System and for matters connected therewith or Incidental thereto.

Be it enacted by the State Legislature in the Fifty-seventh year of the Republic of India, as follows :—

CHAPTER-I – PRELIMINARY

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 2006.
- (2) It extends to the whole of the State of Chhattisgarh.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint and different dates may be appointed for different areas and for different provisions.

Definitions

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires:—

(a) “agreement” means an agreement between the Water Users’ Association and the Project Committee or Canal Officer as the case may be, for all aspects of irrigation management including rehabilitation of the distributory system, supply of water on volumetric basis for irrigation and handing over of physical system for operation, maintenance, management and related purposes;

(b) “area of operation” in relation to farmers’ organisation means a contiguous block of land in the command area of an irrigation system as may be notified by the State Government for the purposes of this Act;

(c) “ayacut road” means a road within the area of operation of a farmers’ organisation for the purpose of irrigation and agriculture.

include a road vested in a Gram Panchayat, Janpad Panchayat, Zila Panchayat, Nagar Panchayat, Municipal Council, Municipal Corporation or Public Works Department of the State Government.

(d) "canal officer" means the following Officers of the Water Resources Department namely: --

- (i) Chief Engineer;
- (ii) Superintending Engineer;
- (iii) Executive Engineer;
- (iv) Sub-Divisional Officer;
- (v) Canal Deputy Collector and
- (vi) Sub-Engineer

(e) "command area" means an area irrigated or capable of being irrigated either by gravitational flow or by lift irrigation or by any other method from a Government or the Government aided source and includes every such area whether it is called 'ayacut' or by any other name under any law for the time being in force;

(f) "competent authority" means the competent authority appointed under Section 29;

(g) "distributory system" means and includes, --

- (i) all main canals, branch canals, distributories and minor canals constructed for the supply and distribution of water for irrigation.
- (ii) all works, structures and appliances connected with the distribution of water for irrigation; and
- (iii) all field channels and other related channels and structures under a pipe outlet;

(h) "drainage system" means and includes, --

- (i) channels either natural or artificial, for the discharge of waste or surplus water

and all works connected therewith or ancillary thereto;

(ii) escape channels from an irrigation or distribution and other works connected therewith, but does not include works for removal of sewage;

(iii) all collecting drains and main drains to drain off surplus water from field drains; and

(iv) all field drains and related structures under pipe outlets;

(i) "farmers' organisation" wherever it occurs, shall mean and include, -

(i) water users' association at the primary level consisting of all the water users as constituted under section 4;

(ii) distributory committee at the secondary level as constituted under section 7; and

(iii) project committee at the project level, as constituted under section 10;

(j) "farmers participation in management of irrigation system" means involvement of water users in all aspects of irrigation in the irrigation system including planning, designing, operation, maintenance, rehabilitation, modernization, administering rights, resolving of conflicts, determination and collection of Irrigation Water Rate, monitoring, evaluation, budgeting, and financial management, and extends to providing and coordinating irrigation and agriculture related services;

(k) "field channel" includes a channel existing or to be constructed by the State Government or by the land holders or by an agency to receive and distribute water from a pipe outlet or an opening in a water course for irrigation of field belonging to Government or private owners, -

(l) "field drain" includes a channel excavated

and maintained by the land holder or by any other agency, to discharge waste or surplus water from the land holding under a pipe outlet and includes drains, escape channels and other similar works existing or to be constructed;

(m) "financing agency" means any commercial bank or any co-operative society or any other bank or organisation established or incorporated under any law for the time being in force, which lends money for the development of the area of operation of the farmers' organisation;

(n) "general body" in relation to Water Users' Association means the body of all members of such Association;

(o) "hydraulic basis" means the basis for identifying a viable irrigated area served by one or more hydraulic structures such as headworks, distributories, minors, pipe outlets and the like;

(p) "irrigation system" means such major, medium and minor irrigation system excluding those which are under the control of Panchayat for harnessing water for irrigation and other allied uses from Government sources and also sources created by means of community participation, which is duly permitted by the District Collector and includes reservoirs, open head channels, diversion systems, anicuts, stop dams, lift irrigation schemes, bore/tube wells, tanks, wells and the like and such irrigation system irrigating an area greater than 40 hectares;

Explanation: -- (i) 'major irrigation system' means irrigation system under major irrigation project having irrigable command area of more than 10,000 hectares;

(ii) 'medium irrigation system' means irrigation system under medium irrigation project having irrigable command area of more than 2,000 hectares and up to 10,000 hectares;

(iii) 'minor irrigation system' means irrigation system under minor irrigation project having irrigable command area of more than 40 hectares and up to 2,000 hectares;

(q) "land holder" means an owner and or a tenant recorded as such in the record of rights under the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) in respect of land in the notified ayacut area of an irrigation system;

(r) "lift irrigation" or "lift irrigation scheme" in relation to lift irrigation Water Users' Association means all lift irrigation Schemes, wherein Government permission is required for lifting water, but excluding the lift irrigation schemes on private open wells and bore wells;

(s) "lift and tube well irrigation water users' association" in relation to management of irrigation system by farmers, means an association constituted for the purpose of lift and tube well irrigation, constituted in the prescribed manner as provided under Sections 21 and 22 of the Act;

(t) "maintenance" means execution of such works on the irrigation system as are necessary to ensure that the physical system designed to the standards operates for proper distribution of water to the landholders in the area of operation;

(u) "managing committee" means the managing committee of any farmers' organisation;

(v) "member" means the member of any farmers' organisation.

(w) "operational plan" means a schedule of irrigation deliveries with details of the mode and duration of supplies drawn up for regulation of irrigation in the command area of an irrigation system;

(x) "prescribed" means prescribed by Rules made under the Act;

(y) "territorial constituency" for the purposes of this Act means an area delineated on hydraulic basis and to the extent possible represents an area irrigated by one common canal;

(z) "warabandi" means a system of distribution of water allocation to water users by turn, according to an approved schedule indicating the day, duration

and the time of supply;

(za) "water allocation" in relation to an irrigation system means distribution of water determined from time to time by a farmer's organisation in its area of operation;

Provided that the allocation at the Project area level would be determined jointly by the farmers organisations and the Canal Officer, as the case may be;

(zb) "water user" means and includes any individual or body corporate or a society using water for agriculture, domestic, power, non-domestic, commercial, industrial or any other purpose from a Government source of irrigation;

(2) The words and expressions used in this Act, but not defined, shall have the same meaning as assigned to them in the Chhattisgarh Irrigation Act, 1931 (No. 3 of 1931).

CHAPTER-II – CONSTITUTION OF FARMERS' ORGANISATION AND DELINEATION OF COMMAND AREA THEREOF

3. (1) The District Collector, may by notification and in accordance with the rules made under this Act, in this behalf, delineate every command area in consultation with the farmers who are proposed beneficiaries under each of the irrigation systems and on a hydraulic basis which may be administratively viable; and declare it to be a water users' area for the purpose of this Act:

Delineation of water users' area

Provided that any water users' area in minor, medium & major irrigation system shall not exceed 2000 hectares;

and the District Collector, may by notification and in accordance with the rules made under this Act, in this behalf, delineate every command area in consultation with the farmers who are proposed beneficiaries under each of the irrigation systems and on a hydraulic basis which may be administratively viable; and declare it to be a water users' area for the purpose of this Act:

Provided further that for minor irrigation system including irrigation systems comprising more than one minor scheme a Water Users' Association may be formed with an area of two hundred hectares and above, and to the extent possible;

Provided further that there may be one Water User Association for more than one Minor Scheme when the aggregate command area of such schemes is less than 200 ha and are located next to each other or are at reasonable distance from one another;

(2) The modifications of delineated Water Users Association Area in sub-section (1) shall be notified by the District Collector and would be based on recommendations made by the Canal Officer in Charge of irrigation project and such canal officer shall arrive at the recommendation made in this regard only after consultation with the farmers who are proposed beneficiaries under such Schemes;

(3) Every Water Users Associations' Area shall be divided into territorial constituencies which shall be up to ten in minor irrigation systems and twelve in major and medium irrigation systems:

Provided that there is no necessity of formation of ten territorial constituencies for constituting a Water Users' Association in cases of commanded area of less than two hundred hectares and no necessity of formation of any territorial constituency in case of Lift Irrigation Water Users' Association.

Constitution of Water Users' Association

4. (1) There shall be a Water Users' Association called by its local distinct name for every Water Users' Association's area delineated under Section 3.

(2) Every Water Users' Association shall consist of the following members, namely:-

(a) all the water users who are land holders in a water users' area:

Provided that where both the owner and the tenant are landholders in respect of the same land, the tenant would be the deemed water user;

Provided further that any person who is in lawful possession and enjoyment of the land under a water source, on proof of such possession and such enjoyment in a crop year, may claim membership not withstanding whether he is recorded land holder or not, in which case the Water Users' Association shall not refuse the

membership of such person for the purposes of this Act, and such person shall be liable to pay the water charges and the fees as may be prescribed as if he is the water user;

Provided further that the wife / wives of such land holder, who do not hold land, shall deemed to be the landholders for the purpose of this act.

(b) all other water users in a water users' area;

(c) Government may, by notification, nominate one officer each from the Water Resources Department and the Department of Agriculture or Ayacut Department to be the members of the Water Users' Association as advisors and without having the right to vote.

(3) The members specified in sub-section (2) shall constitute the general body of the Water Users' Association.

5. (1) There shall be a Managing Committee for every Water User Association.

(2) The Managing Committee for each Water Users Association would comprise of the elected representatives of the Territorial Constituencies as specified in sub-section (3) of Section 3.

(3) The term of the office of the members of the territorial constituencies shall, if not recalled or removed or disqualified under the provisions of the Act, shall be five years from the date of first meeting of the Managing Committee :

Provided that the term of office can be extended up to one year by the State Government, under special circumstances.

(4) The first meeting of Management Committee shall be held within 30 days after the declaration of election results.

(5) The District Collector shall make arrangements for the election of President of the Managing Committee of the Water Users' Association by direct election by the method of secret ballot in the manner prescribed.

**Constitution of
Managing
Committee of Water
Users Association
and election of its
President and
Members**

(6) The District Collector shall cause arrangement for the election of a Managing Committee consisting of one member from each of the territorial constituencies of a Water Users area by a simplified election procedure in the manner prescribed:

Provided that a person eligible to become an elected representative of more than one territorial constituency of a Water Users' Association shall be entitled to be such a representative of only one territorial constituency, at his option and he/she shall exercise such option before filing his/her nomination for the election;

Provided further that no person can be a member of a Managing Committee of more than one Water Users' Association.

(7) If at an election, the President or the members of the territorial constituencies of Water Users' Association are not elected fresh election shall be held within a period of 90 days from the date of failure in the same manner as specified in sub-section (5) or (6), as the case may be.

(8) The State Government may nominate an officer at an appropriate level from the Water Resources Department without having the right to vote, to be the Secretary of the managing committee of the Water Users' Association.

(9) The Managing Committee shall elect one Treasurer from among the members of the Managing Committee to assist the President and the Treasurer shall function as directed by the Managing Committee.

(10) For the purposes of equitable distribution of water, adequate representation shall be given in the Managing Committee, to the water users from the Head, Middle and Tail reaches of the area of operation of the Water Users' Association as may be prescribed;

(11) Seats shall be reserved in every Management Committee of Water Users' Association for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes and the number of seats so reserved shall bear as nearly as may be the same proportion to the total number of seats to be filled by direct election in that Water Users' Association as the number of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes of the water users in that water

users area bears to the total number of water users of that area and such seats shall be allotted by the prescribed authority to different Territorial Constituency in that Water Users Association, in the prescribed manner.

Provided that such reservation of seats shall not exceed fifty percent of the total members of the Managing Committee of the Water Users' Association.

(12) The Territorial Constituency which have no population of Scheduled Castes, Scheduled Tribes or other Backward Classes of water users shall be excluded for allotment of seats reserved for Scheduled Castes or Scheduled Tribes or other Backward Classes as the case may be.

(13) One third of total number of seats reserved under subsection (11) and unreserved seats shall be reserved for women candidates and the reservation shall be horizontal and compartment-wise.

Explanation: "Horizontal and compartment-wise reservation" means reservations in each category namely; Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other Backward Classes and General.

(14) Seats reserved for women may be allotted by the prescribed authority by drawing of lots and by rotation to different Territorial Constituency in a Water Users' Association in the prescribed manner.

(15) There shall be nomination of one member from the Gram Panchayat, from among the Gram Panchayat(s) within the water users' area, to the Managing Committee and such member shall not have the right to vote.

Provided that such nomination would be decided by the Managing Committee in concurrence with the Gram Panchayat(s) in the water users' area and in the prescribed manner.

(16) The President of the Managing Committee of water users association shall, if not recalled or removed or disqualified by the provisions of the Act, be in office for a period of five years from the date of election or his tenure as member of territorial constituency, whichever is earlier.

(17) The Managing Committee shall exercise the

powers and perform the functions of the Water Users' Association.

**Delineation of
Distributory area**

6. (1) The State Government may, by notification and in accordance with the rules made in this behalf, delineate every command area of the irrigation system, comprising of three or more water users' association, and declare it to be a distributory area for the purpose of this Act:

Provided that for medium and major schemes, a Distributory Committee may be formed only when its water distribution network so warrants.

- (2) The delineation in (1) shall be based on recommendations made jointly by the Canal Officer in charge of the concerned irrigation projects and the concerned Water User Associations

**Constitution of the
Distributory
Committee**

7. (1) There shall be a Distributory Committee called by its local distinct name for every distributory area declared as such under sub-section (1) of Section 6.

- (2) (a) All the Presidents and Management Committee members of the water users associations in the distributory area, so long as they hold such office, shall constitute the general body of the committee.

(b) Government may, by notification, nominate one officer each from the Water Resources Department and the Department of Agriculture or Ayacut Department to be the members of the Distributory Committee as advisors and without having the right to vote.

**Constitution of
Managing
Committee of
Distributory
Committee and
election of its
President and
Members**

8. (1) There shall be a Managing Committee for every Distributory Committee.

(2) The State Government shall cause arrangements, in such manner as may be prescribed, for the election by the method of secret ballot of the President and Members of the Managing Committee who shall be five or more in number but not more than fifteen and depending on the commanded area covered by that distributory command and from amongst the members of the general body of the Distributory Committee:

Provided that if at an election, the President or the members of the Managing Committee for a Distributory

Committee are not elected, fresh election shall be held within a period of 90 days from the date of failure in the same manner as specified above.

(3) The State Government may nominate an officer at an appropriate level from the Water Resources Department without having the right to vote, to be the Secretary of the managing committee of the Distributory Committee.

(4) The Managing Committee shall elect one Treasurer from among the members of the Managing Committee to assist the President and the Treasurer shall function at the direction of the Managing Committee.

(5) For the purposes of equitable distribution of water, adequate representation shall be given in the Managing Committee from the Head, Middle and Tail reaches of the area of operation of the Distributory Committee in such manner as may be prescribed.

(6) Seats shall be reserved in every Managing Committee of Distributory Committee for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes and the number of seats so reserved shall bear as nearly as may be the same proportion to the total number of seats to be filled in that Managing Committee as the number of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes of the water users in that distributory area bears to the total number of water users of that area and such seats shall be reserved by the prescribed authority and in the prescribed manner.

Provided that such reservation of seats shall not exceed fifty percent of the total members of the Managing Committee of the Distributory Committee.

(7) One third of total number of seats reserved under subsection (6) and unreserved seats shall be reserved for women candidates and the reservation shall be horizontal and compartment-wise.

- Explanation: "Horizontal and compartment-wise reservation" means reservations in each category namely; Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other Backward Classes and General.

(8) Seats reserved for women may be reserved in the prescribed manner.

(9) There shall be nomination of one member from the Janapad Panchayat, from among the Janapad Panchayat(s) within the Distributory area, to the Managing Committee and such member shall not have the right to vote.

Provided that such nomination would be decided by the Managing Committee in concurrence with the Janapad Panchayat(s) in the Distributory area and in the prescribed manner.

(10) The term of office of the President and the members of the Managing Committee shall be five years from the date of the first meeting of the Managing Committee, unless recalled earlier under section 14 of the Act.

Provided that the term of office can be extended up to one year by the State Government, under special circumstances.

(11) The first meeting of Management Committee shall be held within 30 days after the declaration of elections results.

(12) The Managing Committee shall exercise the powers and perform the functions of the Distributory Committee.

Delineation of Project area

9. (1) The State Government, may by notification and in accordance with the rules made under this Act in this behalf, delineate every command area or part thereof, and declare it to be a project area for the purposes of this Act.

(2) The delineation in sub-section (1) shall be based on recommendations made jointly by the Canal Officer in Charge of the concerned irrigation projects and the Presidents of the Distributory Committees in the project area.

Constitution of Project Committee

10. (1) There shall be a Project Committee called by its distinct name for every project area declared as such under sub-section (1) of Section 9 above.

(2) In Irrigation systems, where there are distributory committees all the Presidents and member of managing committee of the Distributory Committees in the Project Area, so long as they held such office, shall constitute the general body of the Project Committee.

(3) In Irrigation systems, where there are no distributory committees all the Presidents and member of managing committee of the Water Users Associations in the project area, so long as they hold such office, shall constitute the general body of the Project Committee.

(4) Government may, by notification, nominate one officer each from the Water Resources Department and the Department of Agriculture or Ayacut Department to be the members of the Project Committee as advisors and without having the right to vote.

11. (1) There shall be a Managing Committee for every Project Committee.

**Constitution of
Managing
Committee of Project
Committee and
election of its
President and
Members**

(2) State Government shall cause arrangements, in such manner as may be prescribed, for the election by the method of secret ballot of the members of the Managing Committee who shall not be more than nine from amongst the members of the general body of the Project Committee.

If, at an election held, President and the Members of the Managing Committee are not elected, fresh elections shall be held in the prescribed manner.

(3) The State Government may nominate an officer at an appropriate level from the Water Resources Department without having the right to vote, to be the Secretary of the managing committee of the Project Committee.

(4) The Managing Committee shall elect one Treasurer from among the members of the Managing Committee to assist the President and the Treasurer shall function at the direction of the Managing Committee.

(5) For the purposes of equitable distribution of water, adequate representation shall be given in the Managing Committee of the Project Committee from the Head, Middle and Tail reaches of the area of operation of the Project Committee in such manner as may be prescribed.

(6) Seats shall be reserved in every Managing Committee of the Project Committee for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes and the number of seats so reserved shall bear as nearly as may be the same proportion to the total number of seats to be filled in that Managing Committee as the number of

Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes of the water users in that Project area bears to the total number of water users of that area and such seats shall be reserved by the prescribed authority and in the prescribed manner.

Provided that such reservation of seats shall not exceed fifty percent of the total members of the Managing Committee of the Project Committee.

(7) One third of total number of seats reserved under subsection (6) and unreserved seats shall be reserved for women candidates and the reservation shall be horizontal and compartment-wise.

Explanation: "Horizontal and compartment-wise reservation" means reservations in each category namely; Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other Backward Classes and General.

(8) Seats reserved for women may be reserved in the prescribed manner.

(9) There shall be nomination of one member from the Zila Panchayat, from among the Zila Panchayat(s) within the Project area, to the Managing Committee and such member shall not have the right to vote.

Provided that such nomination would be decided by the Managing Committee in concurrence with the Zila Panchayat(s) in the Project area and in the prescribed manner.

(10) The term of office of the President and the members of the Managing Committee shall be five years from the date of first meeting of Managing Committee.

Provided that the term of office can be extended up to one year by the State Government, under special circumstances.

(11) The first meeting of management committee shall be held within 30 days after the declaration of election results.

(12) The term of office of the President and the members of the Managing Committee of Project Committee shall if not recalled or removed or disqualified under the provisions of the Act earlier, be coterminous with their respective terms as specified.

(13) The Managing Committee shall exercise the powers and perform the functions of Project Committee.

12. The farmers' organisation under the Act may decide to federate and form a state level farmers federation to facilitate interactions of the state government and non government organizations with the farmers, to support farmers participation in management of irrigation systems and further to coordinate and deal with allied activities relating to irrigated agriculture.

**Federation of
Farmers
Organization at the
State Level**

13. (1) The State Government may by Notification, constitute a Policy Committee consisting of the following Members, namely: —

**State Level Policy
Committee**

(a) The Minister in charge of Water Resources Department – Chairperson;

(b) three persons from amongst the Presidents of the Project Committee;

(c) two persons from amongst the Presidents of Water User Associations from the minor irrigation systems;

(d) two persons from non-government organisations including one person having knowledge in the field of participatory irrigation management; and

(e) three officers not below the rank of Chief Engineer or equivalent including one each from the Water Resources Department, Agriculture Department and Ayacut Department of the State Government.

(2) The number of members may be increased by such number as may be considered necessary by the State Government.

(3) The committee constituted under sub-section (1) shall mandatorily have at least one third women members from amongst the Presidents of the Project Committee and the Presidents of the Water Users' Associations and to the extent possible representatives of Government department and Non-Government Organizations (NGOs) shall also have at least one third women.

(4) The Committee, constituted under sub-section (1) shall exercise such powers and functions as may be necessary to lay down the policies for implementation of the provisions of this Act

Procedure for recall

14. (1) A motion for recall of a President or member of a Managing Committee, as the case may be, of a farmers' organisation may be made by giving a written notice as may be prescribed, signed by not less than one third of the total number of members of the farmers' organisation, who are entitled to vote.

Provided that no notice of motion under this section shall be made within one year of the date of assumption of office by the person against whom the motion is sought to be moved.

(2) If the motion is carried with the support of the two thirds majority of the members present and voting and half of the total number of members of the association, voting at a meeting of the general body specially convened for purpose, the District collector or the state Government, as the case may be, shall by order remove him from office and the vacancy shall be filled in the manner specified in Section 20.

Procedure for Removal of the President by the Managing Committee

15. The President of a farmers' organisation may be removed by the members of the Managing Committee of the same farmers' organisation through a resolution passed by two-third members of such managing committee.

Constitution of Sub-committees in farmers' organisation

16. (1) The Managing Committee of a farmers' organization may constitute sub-committee to carryout all or any of the functions vested in each organization under the Act.

(2) The sub-committees constituted under sub-section (1) shall have a minimum of one-third women members from the concerned farmers' organisation.

Farmers' organisation to be a body corporate

17. Every farmers' organisation shall be a body corporate with a distinct name having perpetual succession and a common seal and subject to the provisions of this Act vested with the capacity of entering into contracts and of doing all things necessary, proper or expedient for the purposes for which it is constituted and it shall sue and be sued in its corporate name represented by the President, as the case may be;

Provided that no farmers' organisation shall have the power to alienate in any manner, any property vested in it.

18. The State Government may, in the interest of a Farmers' Organisation in the command area and with prior consent of the concerned farmers' organisation, by notification, and in accordance with the rules made in this behalf, –

Changes in Farmers' organisation

- (a) form a new farmers' organisation by separating the area from any farmers' organisation;
- (b) increase the area of any farmers' organisation;
- (c) diminish the area of any farmers' organisation;
- (d) alter the boundaries of any farmers' organisation; or
- (e) cancel a notification issued under this Act for rectifying of any mistake.

Provided that no such separation, increase, diminution, alteration or cancellation shall be effected unless a reasonable opportunity of being heard is given to the organisation likely to be affected.

19. (1) No officer or servant of the Government of India or any State Government or of a local authority or an employee of any institution receiving aid from the funds of the State Government shall be qualified for being chosen as or for being a President or a member of a Managing Committee.

Disqualifications of Candidates or Members

- (2) No person who has been convicted by a criminal court for any offences involving moral turpitude shall be qualified for being chosen as or for being a President, or a member of a Managing Committee.

- (3) A person shall be disqualified for being chosen as a President or a member of a Managing Committee if on the date fixed for scrutiny of nominations for election he is: –

- (a) of unsound mind;
- (b) an applicant to be adjudicated as an

insolvent or an undischarged insolvent; or

(c) a defaulter of land revenue or water tax or charges payable either to the State Government or to the farmers' organisation:

Provided that the defaulter as above, on payment of arrears for the previous three years would not be disqualified and such limit of the previous three years would apply only for the purposes of the first election after the enactment of this Act;

(d) interested in a subsisting contract made with, or any work being done for, the Gram Panchayat, Janpad Panchayat, Zila Panchayat, or any State Government or Central Government or the farmers' organisation:

Provided that a person shall not be deemed to have any interest in such contract or work by reason only of his having share or interest in: -

(i) a company as a mere share-holder but not as a director;

(ii) any lease, sale or purchase of immovable property or any agreement for the same; or

(iii) any agreement for the loan of money or any security for the payment of money only; or

(iv) any newspaper in which any advertisement relating to the affairs of the farmers' organisation is inserted;

Explanation. - for the removal of doubts it is hereby declared that where a contract is fully performed it shall not be deemed to be subsisting merely on the ground that the Gram Panchayat, Janpad Panchayat, Zila Panchayat, the Farmers' organisation, the State Government or Central Government has not performed its part of the contractual obligations.

(e) a person rendered landless or having lost the possession of the land or ceasing to be a water

user due to sale or transfer of land in area of operation after constitution of Water Users' Association;

(f) employed in Government or Semi Government organisation or local body;

(4) A President or a member of a Managing Committee shall also become disqualified to continue in office if he -

(a) absents from three consecutive meetings without reasonable cause;

(b) is a person who incurs any of the disqualifications mentioned in sub-section (1), (2) and (3) and he shall cease to hold the office forthwith;

Provided that disqualification under clause (a) shall not apply in the case of women who are in advanced stage of pregnancy and for a period of three months after delivery.

(5) A member of the Water Users' Association or a President or a member of a Managing Committee shall become disqualified to continue the office, if he/she ceases to be a Water User.

20. (1) A vacancy arising either due to disqualification under sections 14 and 19 or due to death or resignation or by any reason, such vacancy shall be filled up by nomination in the following manner, namely:

Filling up of Vacancies

(a) In case of the vacancy of the Water Users Association President, the Managing Committee of the Water Users Association will select an acting President from its members. Failing to be able to make this decision, the Collector shall appoint one member of the Managing Committee as the Acting President. In the case of the vacancy of a member of the Managing Committee, or when a member of the Managing Committee has been nominated as President, the Collector shall arrange an election in the respective Territorial Constituency in the prescribed manner;

(b) In case of the vacancy of the President of the Distributory Committee, the Managing

Committee of the Distributory Committee will select an acting President from amongst themselves. Failing to be able to make this decision the vacancy shall be filled by nomination by the managing committee of the Project Committee in the manner prescribed. In the case of the vacancy of a member of the Managing Committee of the distributory committee, or when a member of the Managing Committee has been nominated as President, the concerned Chief Engineer shall appoint a representative from the respective Water Users Associations;

(c) In case of a vacancy of the President of the project committee the Managing Committee of the Project Committee will select an acting President from amongst themselves. Failing to be able to make this decision, the concerned Chief Engineer will appoint one member of the Project Committee as the Acting President. In the case of the vacancy of a member of the Managing Committee of the Project Committee, or when a member of the Project Committee has been nominated as President, the concerned Chief Engineer shall appoint a representative from the respective Distributory Committee.

(2) Where the District Collector is required to arrange for an election for filling up of vacancies in sub section (1), the Collector shall take necessary steps to conduct elections to fill up any vacancy caused within a period of two months from the date of occurrence of such vacancy. However, if it is within three months of the ordinary election, the election will be held as normally scheduled.

(3) The term of office of a member or President of a farmers' organisation elected under sub-section (2) shall expire at the time at which it would have expired, if he had been elected at the ordinary election.

**Water Users'
Association for Lift
and Tube Well
Irrigation**

21. For every Lift Irrigation and Tube Well Scheme under this Act, there shall be one Water Users' Association.

**Delineation of areas
of operation of Lift
and Tube Well
Irrigation Water**

22. A Canal Officer not below the rank of an Executive Engineer, duly empowered by the competent authority in this behalf shall, by notification in the Official Gazette and in accordance with the Rules made under the Act,

delineate command areas of Lift and Tubewell Irrigation Water Users' Associations, separately based on prescribed guidelines and declare those area to be the areas of operation of respective Lift and Tube, Well Irrigation Water Users' Associations for the purposes of this Act.

Users' Associations

23. In Order to avoid overlapping in command areas of flow and lift irrigation and complications arising thereby, a Canal Officer not below the rank of an Executive Engineer, duly empowered by the competent authority in this behalf with prior consent of the beneficiary farmers may give permission to form Lift Irrigation Water Users' Association, on notified rivers or streams in the command of flow irrigation, after delineating the area of flow and lift irrigation separately in the prescribed manner.

Permission to form Lift Irrigation Water Users' Associations on notified rivers or streams in command of flow irrigation

CHAPTER-III – OBJECTS, POWERS AND FUNCTIONS OF THE FARMERS' ORGANISATION

24. The objects of the farmers' organisation shall be to promote and secure equitable distribution of water among its users; adequate maintenance of the irrigation system, efficient and economical utilization of water to optimize agricultural production, to protect the environment, and to ensure ecological balance by involving the farmers, inculcating a sense of ownership of the irrigation system in accordance with the water budget and the operation plan.

Objects

The farmers' organisation may also engage into any activity of common interest of members in the command area related to irrigation and agriculture such as procurement and distribution of seeds, fertilizers and pesticides; procurement and renting of agricultural implements; marketing and processing agricultural produce from the Command Area and supplementary business like dairy and fisheries.

25. (1) The Water Users Association shall perform the following functions, namely: –

Powers and Functions of Water Users' Association

- (a) to prepare and implement a warabandi schedule for each irrigation season consistent with the operational plan based upon entitlement, area, soil and cropping pattern, as approved by the

Distributory Committee, or as the case may be, the Project Committee;

(b) to prepare a plan for the maintenance of irrigation system in the area of its operation at the end of each crop season and carry out the maintenance works of both distributory system and minor and field drains in its area of operation with the funds of the association from time to time and to provide funds for the maintenance of staff including such persons who are placed by the State Government with the Water Users' Association for the purpose of regulation and maintenance of irrigation system;

(c) to seek information regarding canal operation schedule from the upper level Committee or the concerned canal officer;

(d) to convene a meeting of the Managing Committee before each irrigation season to guide and help the members regarding-

(i) Canal operation schedule and water distribution programme;

(ii) Maintenance of canal system before commencement of season;

(iii) the information about the latest decisions taken by the upper level committees;

(e) to make recommendation to the Managing Committee for, and prior to, decisions relating to water allocation, cropping schedule, operation and maintenance of the Irrigation System;

(f) to collect prescribed rate of water charges from the members of the Association including arrears that may arise after the coming into force of this Act and deposit the charges so collected in the manner prescribed;

(g) to collect the arrears on water charges arisen before the coming into force of this Act under an appropriate incentive scheme to be devised by the state government and as prescribed under the rules;

- (h) to carry out annual maintenance and repairs of canal system falling under its jurisdiction;
- (i) to regulate the use of the water among various pipe outlets under its area of operation according to the warabandi schedule of the system;
- (j) to promote economy in the use of water allocated;
- (k) to maintain a register of land holders as published by the Revenue Department;
- (l) to prepare and maintain a register of co-opted members;
- (m) to prepare and maintain an inventory of the irrigation system within the area of operation;
- (n) to monitor flow of water for irrigation;
- (o) to undertake all allied activities related to irrigated agriculture;
- (p) to resolve the disputes, if any, between members and water users in its area of operation;
- (q) to raise resources;
- (r) to maintain accounts;
- (s) to cause annual audit of its accounts;
- (t) to assist to conduct elections to the Managing Committee;
- (u) to maintain other records in such manner as may be prescribed;
- (v) to abide by decisions of the Distributory and Project Committees;
- (w) to conduct General Body meetings in such manner as may be prescribed;
- (x) to conduct regular water budgeting and also to conduct periodical social audit in such manner as may be prescribed.

(2) Power to remove encroachments:-

A Water Users' Association may remove encroachments from property attached to the canal system within its area of operation in accordance with such procedure as may be prescribed.

(3) Agreement with the Water Users' Association:-

(a) There shall be an agreement between the Water Users' Association and the upper level committee or the Canal Officer within three months of the constitution of the concerned Water Users' Association;

(b) Supply of water for irrigation to any water Users' Association within the area of management of Irrigation systems by farmers and provisions for proper maintenance and repairs of irrigation systems within the area of a farmers' organisation shall be in accordance with the agreement;

(c) The Agreement shall contain the contents as may be prescribed.

Functions of Distributory Committees

26. The Distributory Committee shall perform the following functions, namely:

(a) to prepare an operational plan based on its entitlement area, soil, cropping pattern, at the beginning of each irrigation season, consistent with the operational plan prepared by the Project Committee;

(b) prior to each season, identify the critical maintenance works that are to be carried out, prioritize these works, prepare a plan for the maintenance of both distributories and medium drains within area of its operation, execute the maintenance works with the fund of the committee, monitor the maintenance works being executed and ensure that they conform to prescribed standards and to provide funds for the maintenance of staff including such persons who are placed by the State Government with the Distributory Committee for the purpose of regulation and maintenance of irrigation system.

- (c) to regulate the use of water among the various Water User Associations and monitor the flow of water for irrigation under its area of operation;
- (d) to resolve disputes, if any, among the Water Users Associations in its area of operations;
- (e) to maintain a register of Water User Associations in its area of operations;
- (f) to maintain an inventory of the irrigation system in the area of its operation, including drains;
- (g) to promote economy in the use of water allocated;
- (h) to maintain accounts;
- (i) to cause annual audit;
- (j) to maintain other records as may be prescribed;
- (k) to monitor flow of water for irrigation;
- (l) to conduct General Body meetings in such manner as may be prescribed;
- (m) to abide by decisions of the Project Committee;
- (n) to cause regular water budgeting and also the periodical social audit in such manner as may be prescribed;
- (o) to assist in the conduct of elections to the Managing Committee.
- (p) to establish bye-laws establishing rules and sanctions of the organization for implementing the above functions.

27. The Project Committee shall perform the following functions, namely: —

Functions of Project Committees

- (a) to prepare an operational plan based on its entitlement area, soil, cropping pattern, as prepared by the Competent Authority in respect of the entire

project area at the beginning of each irrigation system;

(b) to approve a plan for the extension, improvements, renovation, modernization and annual maintenance of irrigation system including the major drains within area of its operation at the end of each crop season and execute the maintenance works with the fund of the committee from time to time and to provide funds for the maintenance of staff including such persons who are placed by the State Government with the Distributory Committee for the purpose of regulation and maintenance of irrigation system.

(c) to maintain a list of Distributory Committees and Water User Associations in its area of operation;

(d) to maintain an inventory of the distributory and drainage systems in its area of operations;

(e) to resolve disputes, if any, among the Distributory Committees;

(f) to promote economy in the use of water;

(g) to maintain accounts;

(h) to cause annual audit of its accounts;

(i) to maintain other records in such manner as may be prescribed;

(j) to conduct General Body meetings in such manner as may be prescribed;

(k) to cause regular water budgeting and also the periodical social audit in such manner as may be prescribed;

(l) to work with the Canal Officer duly empowered by the competent authority to estimate the water availability before each season in the entire project area of each irrigation system;

(m) to allocate water shares to each Distributory Committee and Water User Association and promote economy in the use of water.

(n) to establish bye-laws establishing rules and sanctions of the organisation for implementing the above functions.

28. (1) The State Government may, by notification, appoint such officer from the Water Resources Department, or any other department, as it considers necessary, to be the competent authority for every farmers' organisation for the purposes of this Act.

Appointment of competent authority and his function

(2) The competent authority appointed under sub-section (1) shall be responsible to the respective farmers' organisations in the implementation and execution of all decisions taken by the farmers' organisation in the prescribed manner and shall provide technical advice and ensure that the work is executed in accordance with the technical parameters.

29. (1) The State Government or Competent Authority through a written Order may give directions to any farmers organisation relating to carrying out of duties or functions of the farmers organisation under this Act where such duties or functions are not being performed in an appropriate manner and where the State Government or the Competent Authority deems that the execution of such duties and functions is essential in public interest.

Power of the State Government to Execute some of the Works of the Farmers Organisation

(2) The farmers' organisation shall be bound to give effect to the directions made under sub-section (1) and if it fails to do so the State Government or the Competent Authority shall have the power to cause the carrying out of such duties and functions and from the funds of the farmers organisation, if any incurred and in the exercise of such power the State Government or the Competent Authority shall have the same power as would have been available with the farmers' organisation under the Act.

30. (1) The State Government or the Competent Authority under this Act by a written order and with reasons therein, suspend any resolution or order or the effect of a permission or the carrying out of a function of a farmers' organisation, if in its opinion-

Power to Suspend the Effect of Resolutions/Orders

(a) Such Resolution, Order, permission or function has not been adopted, agreed or arrived at through the due legal process;

(b) Such Resolution, Order, permission or function is beyond the powers vested under this Act or is contrary to any law in force;

(c) The execution of such Resolution, Order or continuance of permission may lead to –

(i) The misappropriation, mis-utilisation or damage of funds vested in a farmers' organisation or damage to property vested in such organisation;

(ii) adverse impact on public health and convenience.

(2) - The Competent Authority on making of an order under sub section (1) shall place before the State level Policy Committee constituted under this Act a copy of the Order along with the reasons for it as early as possible and in no case later than ten days from the date of the making of the Order and the State Level Policy Committee would approve the Order or set it aside or review it or modify it or may direct that the Order made with or without modification could continue to be in force for the period as the State Level Policy Committee may deem appropriate.

Provided that the approval, setting aside, review or modification of the Order under this Section by the State Level Policy Committee for this purpose shall not be made unless the concerned farmers' organisation is given appropriate opportunity of hearing against the Order made under sub section (1) and before the State Government or the Competent Authority.

CHAPTER-IV – FUNDS AND RESOURCES OF FARMERS' ORGANISATION

**Resources of
farmers'
Organisation**

31. (1) The funds of the farmers' organisation shall comprise of the following namely: –

(a) grants and commission received from the State Government as a share of the Irrigation Water Rate collected in the area of operation of the farmers' organisation;

(b) such other funds as may be granted by the

State Government and Central Government for the development of the area of operation;

(c) resources raised from any financing agency for undertaking any economic development activities in its area of operation;

(d) income from the properties and assets attached to the irrigation system;

(e) fees collected by the farmers' organisation for the services rendered in better management of the irrigation system; and

(f) amounts received from any other sources.

(2) The State Government may authorize the farmers' organisation to have their own resources for the maintenance of their irrigation system and growth of such farmers' organisation.

(3) The water charges collected by the Water Users' Association shall be deposited with the treasury of the State Government and on such deposit a minimum of twenty five percent of the deposited amount shall be assigned to the said Water Users' Association in prescribed manner.

Provided further that the amounts assigned to the Distributory Committee and the Project Committee shall be as prescribed by rules made under the Act.

32. A farmers' organisation may for carrying out its objects and functions under this Act, levy and collect such fee as may be decided by the organisation from time to time.

Power to levy and collect fee

33. The funds received, raised and generated by the Water Users' Association shall be utilized to fulfil the objects of the Water Users' Association in the prescribed manner.

Utilization of Funds for Water Users' Association

34. Every farmers' organisation shall get its accounts audited by independent auditor/s once in a year in the manner prescribed.

Audit

35. (1) The farmers' organisation shall keep their funds in a Nationalised Bank or a Co-operative Bank.

Deposit and administration of the funds

(2) The funds shall be applied towards meeting of the expenses incurred by the Managing Committee of the concerned farmers' organisation in the administration of this Act and for no other purpose.

Sinking fund

36. (1) The Managing Committee of the farmers' organisation shall maintain a sinking fund for the repayment of moneys borrowed and shall pay every year into the sinking fund such sum as may be sufficient for repayment within the period fixed of all moneys so borrowed.

(2) The sinking fund or any part thereof shall be applied in or towards, the discharge of the loan for which such fund was created, and until such loan is wholly discharged it shall not be applied for any other purpose.

Budget

37. The Managing Committee of a farmers' organisation shall prepare in such form in every financial year a budget in respect of the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure of the Committee and shall place before the general body of the farmers' organisation for its approval in such manner as may be prescribed.

Recovery of dues

38. All the amounts payable or due to a farmers' organisation shall be recoverable as arrears of land revenue.

CHAPTER-V – OFFENCES AND PENALTIES**Offences and Penalties**

39. Whoever without any lawful authority does any of the following acts, that is to say: -

(a) damages, alters, enlarges or obstructs any canal;

(b) interferes with, increases or diminishes the supply of water in, or the flow of water from, through, over or under any canal;

(c) interferes with or alters the flow of water in any river or stream, so as to endanger, damage or render less useful any canal;

(d) being responsible for the maintenance of water course or using water course neglects to take proper precautions for the prevention of waste of water thereof, or interferes with the authorised

distribution of the water therefrom or uses such water in an unauthorised manner;

(e) receiving water in his fields for irrigation, neglects to take proper precautions for the prevention of waste of such water;

(f) corrupts or fouls the water of any canal so as to render it less fit for the purposes for which it is ordinarily used;

(g) being a permanent holder, occupier, cultivator or agricultural labourer, resident in a village in which a proclamation under Section 36 of the Chhattisgarh Irrigation Act, 1931 (No. 3 of 1931) has been made, neglects to carry out the duties allotted to him;

(h) destroys, injures, defaces or removes any land mark, level mark, water gauge or other apparatus fixed by the authority of a canal officer;

(i) causes animals or vehicles to pass on or across any of the works, banks or channels or any canal after such passage has been prohibited by a canal officer;

(j) causes or knowingly and wilfully permits animals to graze or be tethered upon the bank or border of any canal after such grazing or tethering has been prohibited by a canal officer;

(k) removes or injures any tree, bush, grass or other vegetation growing on any canal; or

(l) seizes himself on the banks or in the channel of a canal, shall on complaint made by a farmer's organisation:-

(i) be punishable in respect of all offences mentioned in clauses (a) to (h), with imprisonment which may extend to two years, or with fine which shall not be less than one thousand Rupees but which may extend to five thousand Rupees or with both; and when the offence is a continuing one, with an additional fine not exceeding twenty rupees for every day after the first during which the offence has been persisted.

in; and

(ii) **Minimum Penalty** - be punishable in respect of offences mentioned in clauses (i) to (l) with fine which shall not be less than Rupees five hundred but which may extend Rupees two thousand and if the same person is subsequently convicted for a like offence he shall be liable for imprisonment which may extend to six months for each such subsequent conviction.

Dissolution of Management Committee of a Farmers' Organisation

40. (1) State Government may dissolve a Management Committee of a farmers' organisation if such a Committee is found to be committing or have committed a gross misappropriation of Government funds.

(2) The dissolution of Management Committee under sub section (1) shall be carried out following an investigation and enquiry and after serving a notice to such a Committee and receipt of reply from the Committee to the notice so served;

Provided that where the Management Committee fails to reply to the notice served upon it within a reasonable time or as may be prescribed, the dissolution may be carried out without waiting for the receipt of reply from such Committee.

Punishment under other laws not barred

41. Nothing in this Act shall prevent any person from being prosecuted and punished under any other law for the time being in force for any act or omission made punishable by or under this Act:

Provided that no person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once.

Composition of offences

42. (1) A farmers' organisation may accept from any person who committed or in respect of whom a reasonable belief can be inferred that he has committed an offence punishable under this Act or the rules made there under, a sum of money not less than rupees one thousand in case of offences mentioned in clause (a) to (h) of Section 39 and Rs. Five hundred for the offences mentioned in clause (i) to (l) of Section 39 by way of composition.

(2) On payment of such sum of money, no further proceedings shall be taken against him/her in regard to the offence compounded by the farmers' organisation.

CHAPTER-VI – SETTLEMENT OF DISPUTES

43. (1) Any dispute of difference touching the constitution, management, powers or functions of a farmers' organization arising between members shall be determined by the Managing Committee of the farmers' organisation: **Settlement of disputes**

Provided that for resolution of such disputes a separate Sub-Committee may be constituted under the rules made under the Act.

(2) Any such dispute or difference arising between a member and the Managing Committee of a Water Users' Association or between two or more Water Users' Associations shall be determined by the Managing Committee of the Distributory Committee.

(3) Any such dispute or difference arising between a member and the Managing Committee of a Distributory Committee or between two or more Distributory Committees shall be determined by the Managing Committee of the Project Committee.

(4) Any such dispute or difference arising between a member and the Managing Committee of a project committee or between two or more project committees shall be determined by the State Level Policy Committee; whose decision shall be final.

(5) Every dispute or difference under this section shall be disposed of within fifteen days from the date of reference of the dispute or difference.

44. (1) A party to a dispute or difference aggrieved by any decision made or order passed by the Managing Committee of a Water Users' Association may appeal to the Managing Committee of the Distributory Committee, whose decision thereon shall be final. **Appeals**

(2) Any party to a dispute or difference aggrieved by any decision made or order passed by the Managing Committee of a Distributory Committee may appeal to the Project Committee, whose decision thereon shall be final.

(3) Any party to a dispute or difference aggrieved by any decision made or order passed by the Managing

Committee of a Project Committee may appeal to the State Level Policy Committee, whose decision thereon shall be final.

(4) Every appeal under sub-section (1) or sub-section (2) or sub-section (3) shall be preferred within 15 days of communication of the decision or the order to the person aggrieved.

(5) Every appeal under this section shall be disposed of within 15 days from the date of filing of the appeal.

CHAPTER-VII – MISCELLANEOUS

Records

45. (1) Every farmers' organisation shall keep at its office the following accounts, record and documents, namely: -

(a) a map of the area of operation of the farmers' organisation along with map of the structures and distributory networks prepared in consultation with the Water Resources Department;

(b) a statement of the assets and liabilities;

(c) an activity plan including seasonal irrigation schedules, cropping calendar and decisions related to important aspects of irrigation management and irrigated agriculture;

(d) minutes book;

(e) books of account showing receipt and payments;

(f) books of account of all purchases and sales of goods by the farmers' organisation;

(g) register of measurement books, level field books, work orders and the like;

(h) copies of audit reports and enquiry reports;

(i) all such other accounts, records and documents as may be prescribed from time to time;

(j) stock register;

(k) list of users with details of land holding;

(l) register of penalties;

(2) The books of accounts and other records shall be open for information to the members of the farmers' organisation.

46. The meetings of the farmers' organisation and the Managing Committees thereof at such intervals, the procedure, the presidency and the quorum there of shall be, such as may be prescribed. **Meetings**

47. (1) A member of the Managing Committee of a farmers' organisation may resign his office by a letter sent by registered post or tendered in person to the President of the managing committee concerned. **Resignation**

(2) The President of the Managing Committee of a Water Users' Association may resign his office by a letter sent by registered post or tendered in person to the President of the Distributory Committee concerned.

(3) The President of the Managing Committee of a Distributory Committee may resign his office by a letter sent by registered post or tendered in person to the President of the Project Committee concerned.

(4) The President of the Managing Committee of a Project Committee may resign his office by a letter sent by registered post or tendered in person to the Managing Committee of such Project Committee.

(5) The resignation as above mentioned shall take effect from the date of its acceptance or on the expiry of 30 days from the date of its receipt whichever is earlier.

48. (1) The State Government may by notification, appoint controlling officers not below the rank of the Secretary to the Government to exercise the general control and superintendence over the competent authorities and the District Collectors in performance of their functions under this Act or rules made thereunder. **Appointment of Controlling Officers**

(2) The powers to be exercised and the functions to be performed by the controlling officers shall be such as may be prescribed.

49. The Government may, by notification, appoint an officer to be called the

arrangements

or officers to exercise the powers and perform the functions of a farmers' organisation and the Managing Committee there of till such time such farmers' organisation is duly constituted or reconstituted and such Managing Committee assumes office under the provisions of this Act.

Authentication of orders and documents of organisation

50. All permissions, orders, decisions and other documents of the farmers' organisation shall be authenticated by the signature of the President of the farmers' organisation or any other member of the Managing Committee authorised by the Managing Committee in this behalf.

Acts not to be invalidated by informality or vacancy etc.

51. No act or proceedings of the Managing Committee of a farmers' organisation shall be invalid by reason only of the existence of any vacancy in, or defect in the constitution of the said committee.

Protection of Acts done in good faith

52. (1) No suit, prosecution or other legal proceedings shall be instituted against any person for anything which is in good faith, done or intended to be done under this Act or under the rules made thereunder.

Power to remove difficulties

53. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act or as to the first constitution or reconstitution of any farmers' organisation after the commencement of this Act, the Government, in consultation with the respective farmers' organisation and the higher-level farmers' organisations, and as the occasion may require by order published in the Official Gazette, do anything which appears to them necessary for removing the difficulty.

(2) All orders made under sub-section (1) shall as soon as may be laid on the table of the Vidhan Sabha.

Savings

54. Nothing contained in this Act shall affect the rights or properties vested in a Gram Panchayat, Janpad Panchayat, Zila Panchayat, Nagar Panchayat, Municipal Council or Municipal Corporation under any law for the time being in force.

Power to make rules

55. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall as soon as after it is made be laid before Vidhan Sabha.

56. (1) The State Government shall publish model bye-laws for Water Users' Association including model regulations for guidance and adoption by the Water Users' Association. **Power to make Model Bye-laws and Regulations**

(2) The Water Users' Association shall adopt the model Bye-laws and regulations with necessary modifications as it deems appropriate subject to the provisions of the Act and not contrary to the essential nature and purpose of the model bye-laws and regulations.

57. The Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam 1999 (No. 23 of 1999) and orders resolution if any, in force immediately before the commencement of this Act, are hereby repealed or rescinded, as the case may be, in respect of matters covered by this Act. **Repeal**

Provided that any order made or action taken under the Act so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of this Act.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 55 of the Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Bill, 2006 empowers the State Government to make rules for carrying out the purposes of the Bill and the delegation of legislative power is of a normal character.

Devendra Verma
Secretary
Chhattisgarh Vidhan Sabha